R.N No.: MPBIL/2001/5256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : E2/भ.म./581/2021-2023
Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश
वर्ष 21 अंक 06 05 फरवरी 2021

जगत विज़न

जिद, जुनून और जज्बों का किसान आंदोलन

क्या और विकराल रूप लेगा किसान आंदोलन?

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	समता पाठक
मध्यप्रदेश संवाददाता	अर्चना शर्मा
राजनीतिक संवाददाता	समीर शास्त्री
विशेष संवाददाता	बिन्देश्वरी पटेल
छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ	मणिशंकर पाण्डेय
छत्तीसगढ़ संवाददाता	ओंकारनाथ तिवारी
	आनन्द मोहन
	श्रीवास्तव,
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ	अमित राय
गोवा ब्यूरो चीफ	अजय सिंह
गुजरात ब्यूरो चीफ	गौरव सेठी
दिल्ली ब्यूरो चीफ	विजय वर्मा
पटना संवाददाता	सौरभ कुमार
उत्तरप्रदेश ब्यूरो चीफ	वेद कुमार
बुंदेलखण्ड संवाददाता	रफत खान
विधिक सलाहकार	एडवोकेट
	राजेश कुंसारिया

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल

मो. 98260-64596, मो. 9893014600

फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,

विजया पाठक द्वारा समता ग्राफिक्स एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. द्वारा कम्पोज एवं जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्लाट नं. 28 सुरभि विहार बीडीए रोड भेल भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com

मासिक द्विभाषी पत्रिका वर्ष 21 अंक 06 05 फरवरी 2021

जिद, जुनून और जज्बों का किसान आंदोलन

(पृष्ठ क्र.-6)

- कोविड-19 टीकाकरण का आगाज 38
- नागौर-गंगानगर बेसिन में पोटाश के भण्डार 44
- ममता की नाकाबंदी के जवाब में भाजपा की घेराबंदी 46
- बाइडन की भारत-नीति 48
- बढ़ती आत्महत्याओं पर लगे लगाम 50
- नेपाल में उभरते संकेतों के मायने 54
- मध्यप्रदेश अब घड़ियाल और गिद्धों की संख्या में 58
- Aother Republic Day dawns in the shadow 62

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

मैं पिछले कई वर्षों से जगत विज़न मासिक पत्रिका का नियमित पाठक हूं, पिछले माह जनवरी माह का अंक बंगाल में ममता की रक्तरंजित राजनीति को पढ़ा। जिससे मुझे पश्चिम बंगाल में हो रहे अत्याचारों के बारे में पता चला। किस तरह ममता राज चला रही है। उसके बारे में इस पत्रिका के माध्यम से जानकारी मिली।

कमल कुमार, दिल्ली

जगत विज़न की मासिक पत्रिका को जनता को देश-प्रदेश में हो रहे फेरबदल के बारे में स्पष्ट जानकारी देती है। जनवरी माह के अंक में मैंने बंगाल में ममता बैनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी द्वारा बंगाल की जनता पर किए गए अत्याचार के बारे में पढ़ा। किस तरह बंगाल में पत्रकारों को बोलने पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। कैसे संविधान के अनुच्छेद 19 अ का खुलेआम उल्लंघन किया गया।

नवीन वैश्य, नागपुर

जगत विज़न मासिक पत्रिका का पाठन मैं पिछले कई वर्षों से कर रहा हूँ। पिछले माह जनवरी का अंक मुझे काफी पंसद आया। जनवरी माह के अंक में मैंने ममता सरकार के द्वारा चलाए जा रहे राज के बारे में जाना ममता सरकार के राज में कानून व्यवस्था एक चिंता का विषय है। कैसे टीएमसी खुलेआम मार काट करती है। और पुलिस द्वारा एफआईआर तक नही लिखी जाती है। अब बंगाल की जनता बदलाव चाहती है।

दीपेश कुमार, रायपुर

जनवरी माह का जगत विज़न मासिक पत्रिका का अंक पढ़ा। जिसमें मैंने बंगाल की सरकार द्वारा बंगाल की जनता पर की गई क्रूरता के बारे में पढ़ा। साथ ही मैंने कार्बन उत्सर्जिन वाला आर्टीकल पढ़ा। वाकई कर्बन उत्सर्जन पर कड़ाई जरूरी है। यह भविष्य में एक बड़ी समस्या बन सकता है। इस पर रोक लगाना जरूरी है। साथ ही पौधारोपण की ओर भी सरकार के साथ-साथ जनता को भी ध्यान देने की जरूरत है।

अंकेश्वर मिश्रा, बुरहानपुर

पत्रिका में पाठकों की राय का स्वागत है। संदेश भेजकर सुझाव देने के लिये धन्यवाद। आप अपने सुझाव ई-मेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। ई-मेल द्वारा भेजे गये सबसे अच्छे पत्र को पुरस्कृत किया जायेगा।

संपादक
जगत विजन
एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.)
e-mail : jagat.vision@gmail.com, Visit at : www.jagatvision.com

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

संपादकीय

भाजपामय हो गया बंगाल का चुनाव

ममता बनर्जी के दस वर्षो के कार्यकाल के दौरान देश का एक शानदार राज्य पिछड़ता ही रहा। वहां बार-बार हिंसा होती रही। पश्चिम बंगाल मे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का नारा लगाने वालों को गिरफ्तार किया जाता रहा। ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस पार्टी (टीएमसी) 2011 में पहली बार सत्ता में आई तो आशा जागी थी कि राज्य में वाम मोर्चा की सरकार के 35 साल पुराने कुशासन के अंत के साथ राय में विकास का पहिया चलने लगेगा। पर यह नहीं हुआ। वहां भारी पैमाने पर अराजकता और अव्यवस्था व्याप्त होने लगी। अब ममता बनर्जी के लिए राज्य में भाजपा के बढ़ते कदम खतरे की घंटी के समान है। उन्हें अब समझ आ गया है कि 2021 का विधानसभा चुनाव टीएमसी के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित होगे। याद करें कि ममता बनर्जी कुछ समय पहले तक देश की प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रही थीं। ताजा स्थिति यह है कि वे अब अपने ही राय में बुरी तरह नापसंद की जा रही हैं। इसका उदाहरण हमने बीते 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा। वहां लोकसभा चुनाव के दौरान कसकर तृणमूल प्रायोजित हिंसा हुई फिर भी नतीजे भाजपा के पक्ष में रहे थे। राज्य की कुल 42 में से 18 सीटें भाजपा को मिलीं। जबकि भाजपा को 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में मात्र २ सीटें ही मिलीं थी। यह बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि राज्य की जनता ममता बनर्जी के कामकाज से हताश हो चुकी है। वहां विकास थम चुका है। दुखद यह है कि ममता दीदी सिर्फ मुसलमानों के तुष्टिकरण में ही लगी रहीं। ममता दीदी को लगता था कि वे प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा को बुरा-भला कहकर ही प्रधानमंत्री भी बन ही जाएंगी।

सबसे गंभीर बात यह है कि ममता बनर्जी राज्य के किसानों के हितों को लेकर कतई संवेदनशील नहीं है। केन्द्र सरकार की योजना से देश के लाखों किसानों को सीधा तत्काल फायदा हुआ। हालांकि, अफसोस की बात यह है कि पश्चिम बंगाल के 70 लाख से यादा किसानों को इसका फायदा नहीं मिला। भाजपा के पक्ष में जबरदस्त जन जागृति का माहौल बन चुका है। सभी शांति-व्यवस्था चाहने वाले आम जन भाजपा के पक्ष में गोलबंद हो चुके हैं। भाजपा प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है और ममता की पार्टी का ग्राफ रोज धूल में मिलता जा रहा है। राज्य का मतदाता टीएमसी की नीतियों और कार्यमों से बेहाल है। इसलिए जनता को भाजपा में ही उम्मीद दिखाई देती है। ۵ दरअसल ममता बनर्जी सदैव दोहरी नीति पर चलती रही हैं। पश्चिम बंगाल मे दार्जिलिंग से लेकर २४-परगना जिला तक अशांत रहे। ममता बनर्जी सरकार की पुलिस दंगाइयों पर नरम रवैया अपनाती रही। लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अगला विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने जा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में वामदलों को राय में एक भी सीट नहीं मिली थी और कांग्रेस को मात्र दो सीटें हासिल हुई थीं। खैर, अब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को बहुत वक्त नहीं बचा है। इसबार के चुनाव नतीजे साबित करेंगे कि वहां की जनता उसके साथ खड़ी है जो राज्य का विकास करने को लेकर प्रतिबद्ध है। पश्चिम बंगाल की जनता ने इसका ठोस और साफ संकेत पिछले लोकसभा चुनावों में दे भी दिया था।

विजया पाठक

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

जिद, जुनून और जज्बों का किसान आंदोलन

क्या और विकराल रूप लेगा किसान आंदोलन?

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं में पिछले दो माह से लाखों की संख्या में किसान डटे हैं। यह किसान केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों की वापिसी को लेकर आंदोलित हैं। इन दो माह में किसान आंदोलन ने कई उतार-चढ़ाव देखें हैं। समाधान निकालने के लिए केन्द्र सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की वार्ताएं भी हुई। लेकिन वार्ताओं में अगली तारीखों के अलावा कुछ नहीं निकला। क्योंकि किसान संगठन और सरकार दोनों अपनी-अपनी बातों पर अड़े रहे। एक तरफ जहां किसान संगठनों की प्रमुख मांग तीनों कृषि कानूनों को वापिस लेने और न्यूनतम समथर्न मूल्य (एमएसपी) को कानूनी रूप देने की थी, वहीं दूसरी तरफ सरकार किसानों की इन दोनों मांगों को सिरे से खारिज ही करती रही। बस यही कारण रहा कि किसान आंदोलन का स्वरूप बढ़ता गया और सरकार समाधान निकालने में विफल होती गई। आज के परिदृष्य में किसान आंदोलन एक अलग ही स्वरूप में परिवर्तित हो गया है। कह सकते हैं कि आंदोलन इतिहास का सबसे बड़ा किसान आंदोलन बन गया है। जिससे मोदी सरकार सकते में नजर आने लगी है। यह पहला अवसर होगा जिसमें मोदी सरकार परेशान नजर आयी है। हालांकि आंदोलन के इस दरमियान किसान संगठनों के बीच भी मनमुटाव रहे। कोई दर्जन भर किसान संगठन इस आंदोलन में शामिल हैं। कई संगठनों के बीच वैचारिक मनभेद और मतभेद भी देखने को मिले। लेकिन सभी संगठन जिस उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं या अभी भी तक लड़ रहे हैं उसमें सभी संगठन एकजुट दिखे और यह एकजुटता आज भी दिख रही है। 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली के माध्यम से किसान संगठनों ने अपनी ताकत का ऐहसास भी कराया है। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर्स के साथ किसानों ने दिल्ली में रैली निकाली। इस रैली को संभालने में सरकार नाकाम साबित हुई। किसान आंदोलन की आड़ में कई ऐसे तत्व भी शामिल हो गये, जिन्होंने गैर-संवैधानिक तरीकों से रैली को विफल करने की कोशिश की। निश्चित तौर पर लालकिले पर जो घटना घटी वह निंदनीय है। इसकी भरसक भर्त्सना होनी चाहिए। लेकिन यह भी तय है कि इस तरह की हरकत करने वाले किसान नही थे। ये वह तत्व थे जो किसी न किसी रूप में किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहते थे। जिसमें वह काफी हद तक कामयाब भी रहे। वहीं दूसरी तरफ इस पूरी घटना में कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की भी नाकामी थी, जिसने समय रहते स्थिति को नही संभाला। सिर्फ यही एक घटना थी जिसने आंदोलन को बदनाम किया। इससे पहले दो महीनों से अधिक समय से बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चलाया है। खैर, जो भी हो लेकिन इतना जरूर तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह आंदोलन और व्यापक रूप धारण करेगा जिसके लिये सरकार खुद जिम्मेदार होगी।

सरकार को छोड़नी होगी हठधर्मिता

विजया पाठक

इतिहास के सबसे बड़े और व्यापक किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार किसान संगठनों से 11 राउंड में 45 घंटे की बात कर चुकी है। परिणाम में कुछ नहीं निकला है। देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी इस समय कृषि से जुड़ी हुई है। अगर इतनी बड़ी आबादी की आय नहीं बढ़ेगी और वह सशक्त नहीं होगी। तो क्या देश का विकास संभव है। किसान अन्नदाता हैं। भारत के भाग्यविधाता हैं। उनके अधिकार की हरहाल में रक्षा होनी चाहिए। किसान आंदोलन का स्वरूप जिस तेजी से बदल रहा है उससे इसके राजनीतिक इस्तेमाल की आशंका बढ़ गयी है। सरकार की जिद से भी स्थिति खराब हुई है। किसान एमएसपी और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। क्या किसान आंदोलन की आग पर राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेंकना चाहते हैं? मोटे तौर पर उनकी सबसे बड़ी चिंता न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर है। किसानों का कहना है वे मंडी में अनाज

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

देश का सबसे बड़ा और चर्चित किसान आंदोलन अब धीर-धीरे कर मोदी सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। यह पहला अवसर है जब मोदी सरकार पिछले 7 सालों में इस बार इस तरह से घिरती नजर आयी है। यह भी सच है कि सरकार ने कभी कल्पना नही की होगी कि यह आंदोलन इतना व्यापक हो जाएगा। गले की फांस बने इस आंदोलन पर सरकार न पीछे हट सकती है और न ही आगे बढ़ सकती है। जिद की इस जंग में देश का किसान पिसता ही जा रहा है।

सरकार की सख्ती से कैसे बनेगी बात

बेचे या बाहर, लेकिन हर हाल में उन्हें एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। केन्द्र सरकार के नये कानून में एमएसपी का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। किसानों का कहना है कि मंडी (कृषि उत्पाद बाजार समिति) व्यवस्था खत्म कर के एमएसपी को भी खत्म कर दिया गया है। अगर किसानों को अपनी उपज औने पौने दाम पर बेचनी पड़ी तो यह उनके साथ हकमारी होगी। सरकार का तर्क है कि एमएसपी को खत्म नहीं किया गया। एमएसपी का निर्धारण राज्यों का विषय और राज्य इसे अपने स्तर से लागू कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि जब केन्द्र ने एमएसपी खत्म नहीं किया है तो फिर इसका कानून में लिखित जिक्र क्यों नहीं कर रही ? इसमें आनाकानी क्यों कर रही है? सरकार कानून बनाए कि उनका कृषि उत्पाद न्यूनत समर्थन मूल्य पर ही खरीदा जाएगा। एमएसपी से कम मूल्य पर अनाज खरीदना अपराध होगा। किसानों की दूसरी चिंता कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है। किसानों को डर है कि नये कानून से कॉरपोरेट कंपनियां उनके खेतों को गिरवी रख लेंगी। किसान अपनी मर्जी के मालिक नहीं रह पाएंगे। केन्द्र सरकार इन भ्रमों का निवारण क्यों नहीं कर रही? किसान आंदोलन की आग धधकी हुई है। कई

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

अन्नदाताओं की आशाओं पर कुठाराघात

राजनीतिक दल भी अपने फायदे के लिए इस आग को हवा दे रहे हैं। कुछ दलों को लगता है कि केन्द्र सरकार को उखाड़ फेंकने का ये अच्छा मौका है, इसलिए पूरी ताकत झोंक दो।

सरकार ने इन कानूनों को स्थगित करने का और किसानों के साथ मिलकर कमेटी गठन करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन सरकार ने किसान संगठनों की उन मांगों पर चर्चा तक नहीं की जिन पर किसान बात कर रहे थे। यह भी सच है कि अब तक किसानों की एकता, विभिन्न विचारधाराओं के समर्थन और शांतिपूर्ण आंदोलन को इस किसान आंदोलन की ताकत समझा गया था। लेकिन कुछ आसामाजिक तत्वों और घुसपैठियों द्वारा की गई 26 जनवरी की घटनाओं, विशेष रूप से लाल किले पर निशान साहिब (सिखों का परंपरागत केसरिया झंडा) और किसानों के हरे-पीले झंडे को फहराने से सरकार ने आंदोलन को नई दिशा दे दी है। क्योंकि इसी चलते आंदोलन से दो किसान संगठन अलग हो गए। भारतीय किसान यूनियन और ऑल इंडिया किसान संघर्ष ने अपने आप को आंदोलन से अलग कर लिया है।

गौरतलब है कि कृषि क्षेत्र में लाए गए तीन कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर 26 नवंबर 2020 से डटे हैं। हांड़ कंपाती ठंड और बारिश के बावजूद उनके उत्साह में कोई कमी नहीं दिखती है। कई दौर की वार्ता के बाद भी अभी तक सहमति नहीं बन पाई

देश की 70 फीसदी जनता कृषि पर निर्भर हैं। उसकी रोजी का जरिया खेती किसानी ही है। यदि इस विशाल जनसंख्या पर रोजी-रोटी का संकट पैदा होगा तो वह सड़कों पर नही उतरेगा तो कहाँ जाएगा। आंदोलन की राह पकड़कर आज देश का किसान सरकार से न्याय की आस लगाए बैठा है। क्योंकि कृषि कानूनों के जरिए उसे अपनी आजीविका संकट में नजर आ रही है। उसे लगता है कि भविष्य में यह जरिया छिन भी सकता है। यही कारण है कि आज अन्नदाता पूरी शक्ति और सामर्थ के साथ सड़कों पर डटा है।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

राकेश टिकैत
किसान नेता

दर्शनपाल सिंह
किसान नेता

जोगिन्दर सिंह
किसान नेता

है। 8 दिसंबर को सैंकड़ों किसान संगठनों ने भारत बंद भी कराया। इस बीच कई दौर की वार्ताएं भी हुई। किसान आंदोलन को लेकर फिलहाल चाहे किसान हो या केन्द्र सरकार, दोनों पक्ष अपने-अपने पक्ष को लेकर खड़े हैं। इसलिए बड़ा दिल सरकार को दिखाने की जरूरत है। क्यों कि कुछ भी करने के लिए सरकार के पास बहुत कुछ है। ऐसे कई पहलू

आखिर अन्नदाता की अग्निपरीक्षा कब तक होती रहेगी?

है जिन पर फैसले लेकर किसानों को समझा सकती है या कहे तो आशंकाओं को दूर कर सकती है। यदि वाकई में मोदी सरकार किसानों की हितैषी और हमदर्द है तो आगे आकर पहल करनी होगी। आज अगर किसानों को सरकार की नियत और नीतियों पर भरोसा नही है तो आगे चलकर यह सरकार के लिए नुकसानदायक होगा। जिन

योगेन्द्र यादव
सामाजिक कार्यकर्ता

शिवकुमार शर्मा
किसान नेता

बूटा सिंह बुर्ज
किसान नेता

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

बलबीर सिंह
किसान नेता

जगमोहन सिंह
किसान नेता

सतनाम सिंह पन्नू
किसान नेता

किसान आंदोलन में घिरती नजर आ रही मोदी सरकार

शासकीय योजनाओं की दोहाई दी जाती है उनकी हकीकत पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। शायद किसानों के विरोध का यह भी एक कारण है। पहले सरकार को ऐसी कमजोरियों को दुरूस्त करने की जरूरत है। ऐसे तमाम पहलू हैं, जिन पर काम कर किसानों को भरोसे में लिया जा सकता है। यह भी सच है कि आज जो चिंगारी लगी है वह किसी लावे में तब्दील न हो पाए। समय रहते साधने की जरूरत है।

गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली की बार्डर पर पिछले दो माह से किसानों का आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा है। हर दिन आंदोलन का विस्तार होता जा रहा है। सरकार और किसानों के

गुरनाम सिंह चढ़ूनी
किसान नेता

सुरजीत सिंह फूल
किसान नेता

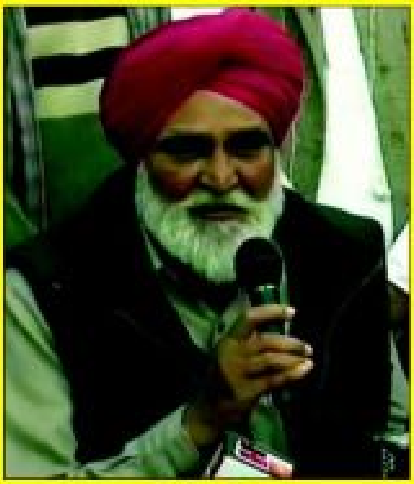

निर्भय सिंह
किसान नेता

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

जगजीत सिंह डालेवाल
किसान नेता

बलदेव सिंह सिरसा
किसान नेता

हन्नान मोलाह
किसान नेता

बीच समझौता को लेकर कई दौर की वार्ताएं भी हो चुकी हैं, लेकिन नतीजा अभी भी नही निकल पा रहा है। सरकार तमाम कोशिशे कर किसानो को मनाने और समझाने मे असफल है। वही किसान संगठन भी कृषि कानूनों को रद्द कराने पर अड़े हुए हैं। जबकि सरकार कानूनों को रद्द करने के पक्ष में नही है। नतीजतन कहा जा सकता है कि अब यह

जुल्मों के आगे झुके नहीं माटी पुत्र

आंदोलन जिद, जुनून और जज्बो के रूप मे परिवर्तित हो चुका है। क्योंकि न सरकार और न ही किसान संगठन पीछे हटने को तैयार है। मौजूदा हालातों को देखते हुए नही लग रहा है कि यह आंदोलन अभी कोई नतीजे पर पहुंचने वाला है। एक तरफ जहां किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य

पानी की बौछार से गुस्साए किसान उठाकर फेंके पुलिस बैरिकैड्स

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

यह तस्वीर उस समय की है जब किसान संगठनों के नेताओं ने सरकार से वार्ता के बाद अपनी एकता का प्रदर्शन किया था। वह अपनी मांगों पर पूरी ताकत के साथ डटे रहे। कई दौर की वार्ताओं के बाद भी सरकार और किसान संगठनों के बीच कोई समाधान नही हो पाया। नतीजतन दो माह से अधिक समय से किसान बार्डर में पूरी ताकत के साथ डटे हैं।

(एमएसपी) पर कानून बनाने पर अड़े हुए हैं वहीं दूसरी ओर सरकार एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है। लेकिन किसान संगठन सरकार की इन शर्तों को न सुनने को तैयार हैं और नही झुकने को तैयार हैं। यही कारण है कि किसानों का आंदोलन व्यापक रूप धारण कर चुका है। किसानों के हौंसले और हिम्मयत को देखकर तो यही लग रहा है कि वह अपनी मांगों से हटने वाले नही हैं। ताजा हालातों को देखकर नही लगता कि कोई बात बन सकती है। यहां एक बात का जिक्र करना जरूरी है। अभी तक के इतिहास में किसानों ने इतना लम्बा और व्यापक आंदोलन नही किया है। अपनी रोजी-रोटी

यह देश के कुछ किसान संगठन है, जो समय-समय पर अपनी एकता और मजबूत संगठन के चलते अपनी ताकत का एहसास कराते हैं।

आंदोलन का नाम	वर्ष	प्रमुख नेता
बिजोलिया किसान आंदोलन	1918	विजयसिंह पथिक
बेगूं किसान आंदोलन	1921	रामनारायण चौधरी
मारवाड़ किसान आंदोलन	1923	जयनारायण व्यास
बीकानेर किसान आंदोलन	1925	दरबार सिंह
महाजन किसान आंदोलन	1934	—
दूधवाखारा किसान आंदोलन	—	हनुमान सिंह, मघाराम वैद्य
बरड़ / बूंदी किसान आंदोलन	1926	पंडित नयनुराम शर्मा
गुर्जर किसान आंदोलन	1936	भंवरलाल जमादार, गोवर्धन चौकीदार, रामनिवास तंबोली
अलवर किसान आंदोलन प्रथम	1921	—
अलवर किसान आंदोलन द्वितीय	1923	माधोसिंह, गोविन्द सिंह
भरतपुर किसान आंदोलन	1931	भोजी लंबरदार
अलवर—भरतपुर मेव आंदोलन	1932	मोहम्मद अली

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों के नेताओं ने सरकार द्वारा दिए जा रहे लजीज व्यंजनों को नकारते हुए गुरूद्वारे से आए साधारण भोजन को जमीन पर बैठकर खाया था। जिससे पता चलता है कि वह स्वाभिमानी भी है और आत्मसम्मानी भी।

की इस लड़ाई में वह पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। यह बात सरकार को समझनी चाहिए, किसान देश की धड़कन हैं। देश की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। आज यह आबादी अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। 70 सालों से किसान लुटता-पिटता आ रहा है। आज उसका सब्र टूटा है। इन 7 दशक में देश में बहुत कुछ बदला, देश का विकास हुआ, उद्योगों का विकास हुआ, कुछ नही

विज्ञान भवन के अंदर सरकार के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न किसान संगठनों के नेताओं ने अपनी बातें रखी थी। हालांकि सभी वार्ताएं बेनतीजा ही साबित हुई।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

क्या है एमएसपी का लेखा जोखा?

हम जानते हैं कि देश में 23 फसलों की एमएसपी घोषित होती है। इसमें मुख्य रूप से खाद्यान्न - गेंहू, धान, मोटे अनाज, दालें, तिलहन, गन्ना। व कपास जैसे कुछ नकदी फसलें शामिल हैं। दूध, फल, सब्जियों, मांस, अंडे आदि की एमएसपी घोषित नहीं होती। 2019-20 में एमएसपी पर खरीदी जाने वाली फसलों में से गेंहू और चालव (धान के रूप में) दोनों को जोड़कर लगभग 2.15 लाख करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी खरीद एमएसपी पर की गई। चावल के कुल 11.84 करोड़ टन उत्पादन में से 5.14 करोड़ टन यानी 43 प्रतिशत एमएसपी पर सरकारी खरीद हुई। इसी प्रकार गेंहू के 10.76 करोड़ टन उत्पादन में से 3.90 करोड़ टन यानी 36 प्रतिशत सरकारी खरीद हुई। दलहन और तिलहन की फसलों की भी एमएसपी पर कुछ मात्रा में सरकारी खरीद होती है। देश में लगभग 30 करोड़ टन खाद्यान्न का वार्षिक उत्पादन हो रहा है। जिसमें 75 प्रतिशत केवल गेंहू और चावल ही हैं। एमएसपी पर सरकारी खरीद भी मुख्यतः इन दो फसलों की ही होती है। किसान अपने परिवार के लिए खाद्यन्न रखने के बाद बाकी लगभग 20 करोड़ टन बाजार में बेच देता है। इसमें से लगभग 10 करोड़ टन सरकार खरीद लेती है, बाकी 10 करोड़ टन ही निजी व्यापारी खरीदते हैं। अब यदि यह मान लिया जाए कि निजी व्यापारी औसतन 5000 रुपये प्रति टन एमएसपी से नीचे मूल्यव पर फसल खरीदते हैं तो एमएसपी बाध्यनकारी होने पर उन्हें 50 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। इसी प्रकार एमएसपी वाली गैर-खाद्यान्न फसलों को भी जोड़ दें तो भी यह राशि किसी भी सूरत में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं बैठती। यह राशि हमारी जीडीपी का केवल आधा प्रतिशत है। 30 लाख करोड़ रुपये की कृषि जीडीपी के सापेक्ष यह मात्र 3.33 प्रतिशत है।

बदला तो वह है किसानों का जीवन स्तर। वह आज भी सरकार की उपेक्षाओं और तिरस्कार का शिकार होता जा रहा है। इन सबके बीच जब सरकार किसानों का अस्तित्व ही खत्म करने वाले कानून बनाएगी तो निश्चित ही किसान लड़ाई लड़ेगा ही। आज सरकार को चाहिए वह किसानों की दुर्दशा और स्थिति को भांपते हुए कोई ऐसा रास्ता निकाले, जो वाकई में किसानों के हक में हो। किसानों के इस आंदोलन में किसी भी प्रकार का राजनीतिकरण लगाने के आरोप सरासर गलत है। किसान किसी भी पार्टी का नहीं वह देश का अन्नदाता है। उसकी तकलीफ सभी की तकलीफ है। सरकार को अपनी जिद और हठधर्मिता से पीछे हटकर बीच का रास्ता निकालने की ठोस पहल करनी चाहिए। मोदी सरकार आज ऐसी स्थिति में है जो जब चाहे किसानों के हित के

क्या हैं कृषि कानून?

पहले कानून में किसानों को अधिसूचित मंडियों के अलावा भी अपनी उपज को कहीं भी बेचने की छूट प्रदान की गई है। सरकार का दावा है कि इससे किसान मंडियों में होने वाले शोषण से बचेंगे, किसान की फसल के ज्यादा खरीददार होंगे और किसानों को फसलों की अच्छी कीमत मिलेगी। दूसरा कानून अनुबंध कृषि से संबंधित है जो बुवाई से पहले ही किसान को अपनी फसल तय मानकों और कीमत के अनुसार बेचने का अनुबंध करने की सुविधा देता है। तीसरा कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन से संबंधित है जिससे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, आलू और प्याज़ सहित सभी कृषि खाद्य पदार्थ अब नियंत्रण से मुक्त होंगे। इन वस्तुओं पर कुछ विशेष परिस्थितियों के अलावा स्टॉक की सीमा भी अब नहीं लगेगी।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

एमएसपी पर किसानों की मांग क्यों नहीं मान रही केंद्र सरकार?

तमाम दावों के बावजूद किसानों की आशंकाओं को दूर करने में सरकार अब तक असफल रही है। किसानों का कहना है कि वर्तमान मंडी और एमएसपी पर फसलों की सरकारी क्रय की व्यवस्था इन सुधारों के कारण किसी भी तरह से कमज़ोर ना पड़े। अभी मंडियों में फसलों की खरीद पर 8.5 प्रतिशत तक टैक्स लगाया जा रहा है परन्तु नई व्यवस्था में मंडियों के बाहर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे मंडियों से व्यापार बाहर जाने और कालांतर में मंडियां बंद होने की आशंका निराधार नहीं है। अत: निजी क्षेत्र द्वारा फसलों की खरीद हो या सरकारी मंडी के माध्यम से, दोनों ही व्यवस्थाओं में टैक्स के प्रावधानों में भी समानता होनी चाहिए। किसान निजी क्षेत्र द्वारा भी कम से कम एमएसपी पर फसलों की खरीद की वैधानिक गारंटी चाहते हैं। किसानों से एमएसपी से नीचे फसलों की खरीद कानूनी रूप से वर्जित हो। किसानों की मांग है कि विवाद निस्तारण में न्यायालय जाने की भी छूट मिले। सभी कृषि जिलो के व्यापारियों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से किया जाए। छोटे और सीमांत किसानों के अधिकारों और जमीन के मालिकाना हक का पुख्ता संरक्षण किया जाए। प्रदूषण कानून और बिजली संशोधन बिल में भी उचित प्रावधान जोड़कर किसानों के अधिकार सुरक्षित किए जाएं। एमएसपी पर सरकारी खरीद की व्यवस्था किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे देश में 23 फसलों की एमएसपी घोषित होती है। इसमें मुख्य रूप से खाद्यान्न- गेहूं, धान, मोटे अनाज, दालें, तिलहन, गन्ना व कपास जैसी कुछ नकदी फसलें शामिल हैं। दूध, फल, सब्ज़ियों, मांस, अंडे आदि की एमएसपी घोषित नहीं होती। 2019-20 में एमएसपी पर खरीदी जाने वाली फसलों में से गेहूं और चावल (धान के रूप में) दोनों को जोड़कर लगभग 2.15 लाख करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी खरीद एमएसपी पर की गई। चावल के कुल 11.84 करोड़ टन उत्पादन में से 5.14 करोड़ टन यानी 43 प्रतिशत एमएसपी पर सरकारी खरीद हुई। इसी प्रकार गेहूं के 10.76 करोड़ टन उत्पादन में से 3.90 करोड़ टन यानी 36 प्रतिशत सरकारी खरीद हुई। गन्ने की फसल की भी लगभग 80 प्रतिशत खरीद सरकारी रेट पर हुई जिसका मूल्य लगभग 75,000 करोड़ रुपये था। इसी प्रकार कपास के कुल उत्पादन 3.55 करोड़ गांठों में से 1.05 करोड़ गांठों यानी लगभग 30 प्रतिशत की एमएसपी पर

फैसले ले सकती है। सरकार को यह भी नही भूलना चाहिए कि आज यह आंदोलन सिर्फ बार्डर तक सीमित है, भविष्य में कुछ नतीजा नही निकला तो आंदोलन बहुत भयानक भी हो सकता है। तब सरकार इसे संभाल नही पायेगी।

सच बात ये है कि किसानों को आशंका है कि इन कृषि सुधारों के बहाने सरकार एमएसपी पर फसलों की सरकारी खरीदी और वर्तमान मण्डी व्यवस्था से पल्ला झाड़कर कृषि बाजार का निजीकरण करना चाहती है। सरकार का कहना है कि इन तीन सुधारवादी कानून से कृषि उपज की बिक्री के लिए एक नई वैकल्पिक व्यवस्था तैयार होगी, जो वर्तमान मण्डी व एमएसपी व्यवस्था के साथ-साथ चलती रहेगी। इससे फसलों के भंडारण विपणन, प्रसंस्करण, निर्यात आदि क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा और साथ ही किसानों

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

सरकारी खरीद हुई। दलहन और तिलहन की फसलों की भी एमएसपी पर कुछ मात्रा में सरकारी खरीद होती है।

एमएसपी निजी क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं हो सकता उन्हें गन्ने की अर्थव्यवस्था को समझना चाहिए। गन्ने का रेट सरकार घोषित करती है और उसी रेट पर निजी चीनी मिलें किसानों से गन्ना खरीदती हैं। इसी प्रकार मज़दूरों का शोषण रोकने के लिए सरकार न्यूनतम मजदूरी दर घोषित करती है। सरकार अपने राजस्व की सुरक्षा हेतु जमीनों का न्यूनतम बिक्री मूल्य व सेक्टर रेट घोषित करती है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां जनहित या वर्गहित में सरकार सेवाओं या वस्तुओं का मूल्य निर्धारित या नियंत्रित करती है तो किसानों की आर्थिक सुरक्षा हेतु फसलों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित क्यों नहीं किया जा सकता। हमारे देश में लगभग 30 करोड़ टन खाद्यान्न का वार्षिक उत्पादन हो रहा है जिसमें 75प्रतिशत केवल गेहूं और चावल ही हैं। एमएसपी पर सरकारी खरीद भी मुख्यत: इन दो फसलों की ही होती है। किसान अपने परिवार के लिए खाद्यान्न रखने के बाद बाकी लगभग 20 करोड़ टन बाजार में बेच देता है। इसमें से लगभग 10 करोड़ टन सरकार खरीद लेती है, बाकी 10 करोड़ टन ही निजी व्यापारी खरीदते हैं। अब यदि यह मान लिया जाए कि निजी व्यापारी औसतन 5000 रुपये प्रति टन एमएसपी से नीचे मूल्य पर फसल खरीदते हैं तो एमएसपी बाध्यकारी होने पर उन्हें 50,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे। इसी प्रकार एमएसपी वाली गैर-खाद्यान्न फसलों को भी जोड़ दें तो भी यह राशि किसी भी सूरत में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं बैठती। यह राशि हमारी जीडीपी का केवल आधा प्रतिशत है। 30 लाख करोड़ रुपये की कृषि जीडीपी के सापेक्ष यह मात्र 3.33 प्रतिशत है। पिछले साल कंपनियों की आयकर दर घटाने के एक निर्णय से ही सरकार को लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपये का घाटा और कंपनियों को यह लाभ हुआ है। इस तथ्य के प्रकाश में सरकार के लिए एमएसपी बाध्यकारी बनाने का निर्णय शायद कुछ आसान हो। इससे सरकार को कोई घाटा नहीं होगा क्योंकि यह अतिरिक्त राशि सरकार को नहीं चुकानी है। कृषि जिलो के व्यापार में लगे लाखों व्यापारियों और निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए भी यह बहुत बड़ी रकम नहीं है। वास्तव में यह राशि किसानों का हक है जिसे अब तक निजी व्यापारी हजम करते रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वह एमएसपी को निजी क्षेत्र में भी बाध्यकारी बनाने की किसानों की इस मुख्य मांग को तत्काल मान ले जिससे आंदोलनकारी किसान अपने घर लौट जाएं। देश के 86 फीसदी छोटे और सीमांत किसानों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वे अपनी फसल को कही बाहर जाकर बेच सकें। इस नाते रणनीतियां उनको केंद्र में रख कर बनानी थी लेकिन सरकार उस दिशा में कोई ठोस काम नहीं कर सकी। इसी नाते यह किसान आंदोलन पसर रहा है और आने वाले समय में इसका दायरा कहां से कहां तक पहुंच जाएगा कुछ कह नहीं सकते। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कैसे की आमदनी बढ़ेगी। तमाम दावों और वादों के बावजूद किसानों की आशंकाओं को दूर करने में सरकार अब तक असफल है।

आंदोलन को लेकर लगता है कि साल 1988 और 1989 के दौरान दिल्ली, मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में चले विशाल किसान आंदोलन ने जिस तरह केंद्र की राजीव गांधी सरकार को हिला दिया था, करीब वैसी ही स्थिति किसानों ने मोदी सरकार की बना दी है। फर्क केवल इतना है कि इस आंदोलन में महेंद्र सिंह टिकैत जैसा बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन कई चेहरे और सामूहिक ताकत इस आंदोलन को बिल्कुल नया आयाम दे रही है। इसका केंद्र आम किसान हैं। इनके मुद्दे, संगठन की ही देन है कि देश के हर हिस्से से किसान संगठन या तो दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं या फिर इस आंदोलन के पक्ष में

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

किसानों को लेकर बनाई कमेटियां

राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में नयी कृषि मूल्य नीति मूल्य नीति बनी। बाद में 1990 में वीपी सिंह सरकार ने सीएच हनुमंतप्पा कमेटी बनायी। यूपीए सरकार ने स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग बनाया लेकिन अहम सिफारिशें जिस भाव से की गयी थीं वे जमीन पर उस रूप में नहीं उतरीं। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार रबी और खरीफ की जिन दो दर्जन फसलों की एमएसपी घोषित करती है, उनके बारे में सरकारी दावा यह है कि इसके तहत कवर की गयी फसलों का योगदान करीब साठ फीसदी है। शेष 40 फीसदी फसलों में दूसरे जिंस और बागवानी उत्पादन हैं, उनको कोई पूछने वाला नही है। जब एमएसपी की फसलें बदहाल हैं तो जो इसके दायरे से बाहर हैं उनकी दशा समझी जा सकती है। सिंचित और असिंचित इलाकों के किसानो के संकट अलग अलग हैं। आज भी हमारा करीब साठ फीसदी इलाका मानसून पर निर्भर है। लेकिन यह कुल खाद्य उत्पादन में 40 फीसदी योगदान दे रहा है। इसी इलाके में 88 फीसदी मोटा अनाज, 87 फीसदी दलहन, 48 फीसदी चावल और 28 फीसदी कपास पैदा हो रहा है। लेकिन एमएसपी पर सबसे कम खरीद इसी इलाके के किसानों से हो रही है और असली सब्सिडी भी सिंचित इलाकों को ही मिल रही है। तभी गैर सिंचित इलाकों में किसानों की आत्महत्याएं रुक नहीं पायी हैं न वे घाटे की खेती से उबर पा रहे हैं। सत्ता पक्ष की ओर से इन विधेयकों को लेकर काफी व्यापक प्रचार अभियान चलाया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ही नहीं, सारे भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और सांसदों विधायकों को इसके पक्ष में बोलने को कहा गया। लेकिन ये किसानों को समझा नहीं सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार इस बात को दोहराया। सरकार ने एक देश एक बाजार के नाम पर भी जोरदार अभियान चलाया। लेकिन एक देश एक बाजार बनना क्या इतना सरल काम है। फलों, कई दिनों तक टिकने वाली सब्जियों और अन्न को छोड़ दें तो अधिकतर जल्दी खराब होने वाले उत्पादों की खपत स्थानीय बाजारो और आसपास के जिलों तक सीमित है। देश के 86 फीसदी छोटे और सीमांत किसानों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वे अपनी फसल को कही बाहर जाकर बेच सकें। इस नाते रणनीतियां उनको केंद्र में रख कर बनानी थी लेकिन सरकार उस दिशा में कोई ठोस काम नहीं कर सकी। इसी नाते यह आंदोलन पसर रहा है और आने वाले समय में इसका दायरा कहां से कहां तक पहुंच जाएगा कुछ कह नहीं सकते।

खड़े हो रहे हैं। पहली बार मोदी सरकार किसान आंदोलन को लेकर बेचैन नजर आ रही है। इस आंदोलन के खिलाफ सत्ता समर्थकों की ओर से आरंभ में जैसे अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे और दुष्प्रचार किया जा रहा था, उसे अब बंद कर दिया गया है। केंद्रीय गृहमंत्री से लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सार्वजनिक तौर पर मान रहे हैं कि यह किसानों का आंदोलन है।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

26 जनवरी के दिन किसान संगठनों की ट्रैक्टर रैली के दौरान कुछ असामाजिक तत्व लालकिले की प्राचीर तक पहुँच गए थे और अपना झण्डा लहरा दिया था। हालांकि रैली के दौरान इस तरह की कोई बात नहीं थी कि रैली को लालकिले तक जाना है। यही वह घटना थी जिसके आंदोलन का रूख ही मोड़ दिया और सरकार को हावी होने का अवसर मिल गया। सरकार ने कई किसान नेताओं, पत्रकारों तक पर राजद्रोह जैसे आरोप लगा दिए। हालांकि अभी तक सरकार उस व्यक्ति को नही पकड़ पायी है जिसने झण्डा फहराया था। यह पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी थी कि वह रैली में मौजूद प्रदर्शनकारियों को रोक नही पायी। लगभग दो घंटे तक चले इस ड्रामें में पुलिस दूर-दूर तक नजर नही आयी। इसे लेकर भी सरकार और पुलिस प्रशासन शक के घेरे में है।

उनको मनाने के लिए सरकार संवाद के रास्ते पर उतरी है और वार्ताओं का दौर जारी है, लेकिन इसके पहले जो आंदोलन चले उनकी बातों को अनसुना किया गया। 1988-89 का दौर भी हमने देखा था। दोनों की पृष्ठ भूमि करीब एक सी ही थी। उस दौर में सरकार की किसानों के प्रति उदासीनता और दंभ को किसानों ने चकनाचूर कर दिया था। तब भारत की किसान राजनीति में किसान उभरे

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

किसान संगठनों द्वारा 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने का उद्देश्य हुड़दंग या प्रदर्शन करना नही था। किसानों का मुख्य उद्देश्य तो सरकार के सामने कृषि बिलों के विरोध का नमूना पेश करना था। क्योंकि बार-बार सरकार यही कह रही थी कि देश के करोड़ों किसानों ने कानून का समर्थन किया है। इस विशाल रैली से सरकार को भी समझना चाहिए कि किसानों में कानून को लेकर कितना विरोध है।

थे। 27 जनवरी 1988 को मेरठ कमिश्नरी का किसानों ने उनके नेतृत्व में जिस तरह घेराव हुआ वह 25 दिनों तक चला। 02 अक्टूबर 1989 के दौरान बोट क्लब पर किसानों की विशाल रैली में देश के सभी हिस्सों के किसान शामिल हुए। किसान जागरण के उस अनूठे दौर में कई अहम सवालों पर भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और कई राज्यों को गौर करना पड़ा और किसानों की मांगें माननी पड़ी थीं। यह आंदोलन राजीव सरकार की विदाई की भूमिका भी तय कर दिया। इस बार आंदोलन की शुरुआत पंजाब और हरियाणा के किसानों ने की। इन दोनों प्रांत के किसान अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर और संपन्न

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

माने जाते हैं। ताजा कृषि कानूनों का असर सबसे अधिक उन पर ही पड़ना था। इस नाते उनकी तरफ से पहले अध्यादेश और फिर विधेयकों का विरोध आरंभ हुआ। लेकिन उस समय सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह अखिल भारतीय स्वरूप में आ जाएगा। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने तीन कृषि कानूनों की वापसी को लेकर जो एकता और आपसी समझदारी दिखायी है, उससे इसका दायरा विस्तृत होता जा रहा है।

यह संयोग ही है कि बीते 17 अक्टूबर को देश के सबसे पुराने किसान संगठन अवध किसान सभा का 100 साल पूरा हुआ है। यह भारत का सबसे पुराने किसान संगठनों में माना जाता है। जिसकी स्थापना बैठक में खुद पंडित जवाहर लाल नेहरू शामिल हुए थे और इस आंदोलन की आभा

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति

इसमें पांच सूत्रीय कार्यक्रम तय किया गया जिसके बिन्दु हैं -

- **एमएसपी को लाभकारी बनाना।**
- **हर किसान को सरकार से घोषित एमएसपी का लाभ देना।**
- **एमएसपी पर खरीद के लिए राज्यवार कोटा न तय करना।**
- **चीनी मिलों पर गन्ने की कटाई और ढुलाई का खर्च वहन करना।**
- **गन्ने के भुगतान में देरी पर दंडात्मक ब्याज के प्रावधान के साथ बुजुर्ग किसानों को पेंशन देकर सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना।**

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

लालकिले की घटना के लिए जिम्मेदार कौन?

26 जनवरी के दिन किसान संगठनों ने ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया था। इस रैली की पूरी तैयारियां की गई थी और दिल्ली पुलिस से अनुमति लेकर रैली निकाली जा रही थी। रैली के लिए बकायदा रूट भी तय थे। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके दाग आंदोलन पर पड़ गए। यह घटना अभी भी अनसुलझी है कि आखिर रैली में शामिल प्रदर्शनकारी कैसे लालकिले तक पहुँच गए और जहां तिरंगा लहराया जाता है वहां प्रदर्शनकारियों ने अपना झण्डा लहरा दिया। इस एक घटना ने पूरे आंदोलन का रूख ही मोड़ दिया। रैली को लेकर किसान संगठनों पर कई तरह के आरोप लगाए गए। किसान नेताओं पर, पत्रकारों पर, राजनेताओं पर राजद्रोह तक के आरोप लगाए। अब सवाल उठता है कि आखिर इस पूरे मामले में जिम्मेदार कौन है? केन्द्र सरकार पुलिस प्रशासन या खुद किसान संगठन।

सरकार और पुलिस प्रशासन अपनी नाकामी का पूरा ठीकरा किसान संगठनों पर फोड़ रहा है। इनका मानना है कि किसानों ने उग्र प्रदर्शन कर संवैधानिक दायित्वों का हनन किया है। यहां एक बात गौर करने वाली है कि जब रैली के लिए प्रशासन द्वारा रूट निर्धारित कर दिए थे। रैली भी उन्हीं रूट पर हो रही थी फिर अचानक बीच में रूट क्यो बदल दिए गए। प्रशासन ने इस विशाल रैली का रूट बदलकर क्यों गुमराह किया गया? यह रैली कोई मामूली रैली नही थी। करीब 30 कि.मी. लम्बे मार्ग में ट्रेक्टर्स की कतारें थीं। क्या सरकार ने जानबूझकर रैली को गुमराह किया था। दूसरी तरफ यह बात भी सामने आ रही है कि लाल किले वाली घटना में शामिल लोग किसान नही थे। बल्कि वे तत्व थे जो रैली को विफल करना चाहते थे। जिसकी संभावना को भांपते हुए किसान संगठनों ने पहले ही प्रशासन को अलर्ट कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन अपनी जिम्मेदारी में नाकाम रहा। अब आंदोलनकर्ताओं पर ऊंगली उठा रहा है। जब प्रदर्शनकारी लालकिले की ओर बढ़ रहे थे या अपना झण्डा फहरा रहे थे तब पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था। क्यों नहीं उन्हें पकड़ा गया या रोका गया। पुलिस प्रशासन मूकदर्शक क्यो बना रहा। रैली के अन्य जगहों पर तो पुलिस ने डंडे भी भांजे, आंसू गैस के गोले दागे। लालकिले के क्षेत्र में ऐसा क्यों नही

से आजीवन आलोकित रहे। अवध किसान सभा को बाबा रामचंद्र की छवि तथा सहदेव सिंह और झींगुरी सिंह की संगठन क्षमता ने अनूठी ताकत दी थी। इस किसान आंदोलन ने तब अंग्रेजी राज और अवध के

देश की समृद्धि का रास्ता गांव के खेतों एवं खलिहानों से होकर गुजरता है।
चौधरी चरण सिंह, किसान नेता

ताल्लुकेदारों को हिला दिया था। एनडीए सरकार की ओर से फसल बीमा और किसान सम्मान निधि जैसे उपायों का राजनीतिक फायदा भी मोदी सरकार को मिला है। लेकिन तीनों कृषि कानून कोरोना

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

किया गया। ऐसे तमाम सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं जिससे लगता है कि यह पूरी की पूरी घटना पूर्व नियोजित थी। जिससे आंदोलन को एक नया रूप दिया जा सके। यह बात भी सच है कि यदि पुलिस चाहती तो प्रदर्शनकारी लालकिले तक पहुंच ही नही पाते। उन्हें पहले ही रोक लिया जाता।

किसान आंदोलन की आड़ में राष्ट्रीय राजधानी में कुछ असामाजिक तत्वों ने जिस घटना को अंजाम दिया, उसने सभी को झंकझोर कर रख दिया। पवित्रता के प्रतीक लाल किला पर कब्जा कर संगठन का झंडा फहराना और सुरक्षाकर्मियों पर जानलेवा हमला करने की घटना से सभी वर्ग स्तब्ध हैं। छात्र से लेकर व्यापारी तक व किसान से लेकर कारोबारी तक दिल्ली की घटना से अचंभित हैं। सभी इस घटना की न केवल निंदा कर रहे हैं बल्कि देश के लिए शर्मसार करने वाली अशोभनीय स्थिति बता रहे हैं। जहां 70 वर्षों से 26 जनवरी को देशभर में गरिमा व गौरवपूर्ण तरीके से मनाया जाता था। किसान आंदोलन की आड़ में 26 जनवरी को दिल्ली में अराजक तत्वों ने दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। यह इतिहास में सबसे शर्मनाक घटना के रूप में दर्ज होगी। 26 जनवरी को हम सब देश की संप्रभुता और ताकत का प्रदर्शन करने के लिए पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन लाल किले जैसी ऐतिहासिक धरोहर पर कुछ अराजक तत्वों ने शर्मनाक घटना को अंजाम दिया, जो बेहद निंदनीय है। दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के नाम पर तथाकथित किसानों ने जिस तरह का तांडव किया, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। किसान आंदोलन के नाम पर किसानों को बदनाम कर कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं। देश को बर्बाद करने वाली ताकतें इसमें शामिल हैं। दिल्ली में अराजकता फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस के पास यह इनपुट पहले से था भी कि किसान लाल किले पर अपना झंडा फहरा सकते हैं. दिल्ली पुलिस और एजेंसियों को भी इसका इनपुट था। पुलिस ने इसके इंतजाम ही नहीं किए। घटना दिल्ली में हुई घटना में जिम्मेदार क्यों। फिर ये इतनी भारी संख्या में भीड़ वहां कैसे पहुंच गई। इतने दिनों से इनके रहने, खाने-पीने की व्यवस्था करने वाले कौन हैं। रजाई-गद्दे, साग सब्जी, दूध-लस्सी उन तक कौन पहुंचा रहा था। हम सब में आप अकेले थोड़े ही है। सामान्य से लेकर सत्ता और तंत्र सब इसमें शामिल हैं। दिल्ली आने का निमंत्रण व्यक्तिगत रूप से तो किसी को नहीं दिया गया था। फिर गांव-गांव से किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली कैसे पहुंच गए। इन्हें पहले ही रोका क्यों नहीं गया। दिल्ली की सीमाओं पर इतना बड़ा जमावड़ा एक दिन में तो हुआ नहीं। देश की गुप्तचर संस्थाएं क्या कर रही थी जो ऐसे हालात होने का अनुमान नहीं कर पाई। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि भीड़ की कोई दिशा नहीं होती।

संकट के दौरान बिना व्यापक संवाद या विचार विमर्श के जिस तरह से बनाए गए उन्होंने पहले से ही परेशान किसानों के मन में संदेह का बीज और गहराया है। इन आशंकाओं का निदान संवाद और विधायी उपायों से ही हो सकता है। जो मांग किसान आज कर रहे हैं वही संसद में कई राजनीतिक दलों की ओर से भी उठाया जा चुका है, जिनमें एनडीए सरकार के समर्थक दल भी रहे हैं। संसद के दोनों सदनों में कृषि विधेयकों पर चर्चा के दौरान विपक्ष चाहता था कि इनको स्थायी समितियों को भेजा जाये और जल्दबाजी में पारित करने से बचा जाये। कुछ सांसद इस मत के भी थे कि व्यापक कृषि सुधार अगर सरकार चाहती है तो उसके लिए राज्यों से उचित संवाद के बिना कोई कदम न उठे।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

राजद्रोह जैसे आरोप लगाने के क्या मायने?

26 जनवरी 2021 गणतंत्र दिवस दिल्ली की सिंघु बार्डर से लेकर लाल किले की प्राचीर तक जो कुछ भी हुआ उसे पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व ने देखा। सुरक्षा व्यवस्था पर लगी सेंध की पूरी जिम्मेदारी पहले तो दिल्ली पुलिस प्रशासन ने किसानों पर थोप अपना पल्ला झाड़ लिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने किसानों को भड़काने के लिए पत्रकारों के ऊपर आरोप लगाते हुए उन पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया। पत्रकार मनदीप पुनिया को गिरफ्तार कर लिया गया। मनदीप 40 दिनों से किसान आंदोलन पर रिपोर्टिंग कर रहा था। इस मामले पत्रकार संगठनों सहित कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी नाराजगी जाहिर की है। देश में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ इस कदर की तानाशाही मानों अंग्रेज शासन दोबारा लौट आया हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने वाली यह सरकार अपनी नाकामियों को छिपा रही है। देखा जाए तो देश का पत्रकारिता जगत इन दिनों अलग-अलग तरह की समस्याओं से घिरा हुआ है। कभी उस पर भ्रष्टाचार तो कभी बिकी हुई मीडिया जैसे शब्दों का संबोधन लगाया जाता है। एक कमी और थी राजद्रोह की वो भी उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाते हुए एक किसान की मौत की गलत रिपोर्टिंग के मामले में चर्चित पत्रकार राजदीप देसाई, मृणाल पाण्डे, कौमी आवाज उर्दू समाचार पत्र के मुख्य संपादक जफर आगा, खान कारवां पत्रिका के मुख्य संपादक परेशनाथ, अनंतनाथ, विनोद के जोश समेत आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अन्य संपादकों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया। इसके साथ ही कांग्रेस के सांसद शशि थरूर पर देशद्रोह के आरोप लगाए गए हैं।

दिलचस्प है कि इन लोगों पर तो संगीन आरोप लगाकर कटघरे में खड़ा कर दिया है और पत्रकारों को भी नही छोड़ा है जबकि इनका काम तो सही रिपोर्टिंग करना है। वहीं लालकिले पर जिस व्यक्ति ने झंडा फहराया था उसे आज तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इससे पहले भी सुशांत सिंह की मौत के मामले में निष्पक्ष खबर दिखाए जाने पर सरकार ने पत्रकार अर्णब गोस्वामी के खिलाफ षडयंत्र रचा और उनको तक जेल भिजवा दिया। आशय साफ है यदि मीडिया ने सरकार की नाकामियों को अपने चैनल या अखबार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहा तो उसके खिलाफ देशद्रोह, राजद्रोह, दंगा भड़काने जैसे आरोप लगाकर उसको शांत करवा दो, फिर भी न माने तो उसको जेल भिजवा दो। कुल मिलाकर अभिव्यक्ति की

विधेयक में स्पष्ट तौर पर इस बात का प्रावधान करने की मांग को भी सरकार ने अनसुना किया कि एमएसपी पर खरीद की बाध्यता को इस कानून में जोड़ा जाये और मंडियों को बरकरार रखा जाएगा, यह वचनबद्धता दी जाये। जमाखोरी को रोकने के लिए भी उचित कानूनी व्यवस्था बनी रहे, यह भी सांसद चाहते थे क्योंकि कोरोना महामारी की आड़ में कई कृषि उत्पादों की जमाखोरी करके मुनाफाखोर किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को प्रभावित कर सकते थे, लेकिन सरकार ने इसमें से किसी भी मसले का समाधान नहीं किया। उलटे आक्रामक होकर विपक्षी दलों को बिचौलियों का प्रतिनिधि बनाकर पेश करने के लिए

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

पर किसानों की ट्रैक्टर परेड़ में हुई हिंसा मामले में 200 लोगों को हिरासत में लिया गया।

कब लगती है देशद्रोह की धारा- इंडियन पैनल कोड (आईपीसी) की धारा 124 ए में राजद्रोह की परिभाषा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सरकार-विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है, ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124ए में राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है। देश विरोधी संगठन के खिलाफ अगर कोई अनजाने में भी संबंध रखता है। संगठन का किसी भी तरीके से सहयोग करता है तो उसके खिलाफ भी राजद्रोह का मामला बन सकता है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकमत उम्र कैद की सजा का प्रावधान है।

स्वतंत्रता को अपने शिंकजे में कसना चाहती है। अगर अभी नहीं चेते तो आने वाले दिनों में मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर और समस्याएं बढ़ सकती है। इसलिए इस पूरी मुहिम में पत्रकारों को आगे आकर सरकार के इस तरह के फैसलों का बहिष्कार करना ही एक मात्र उपाय है, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाया जा सकता है। राजनेताओं, किसान नेताओं और पत्रकारों पर राष्ट्रद्रोह जैसे अपराध के मामले दर्ज करने के क्या मायने? क्या इन्होंने ऐसे अपराध किया था कि इन पर राजद्रोह जैसे संगीन आरोप लगाए गये। आखिर इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है। क्या सरकार संगीन आरोप लगाकर आंदोलन को कुचलना चाहती है या किसान संगठनों पर डर का माहौल बनाना चाहती है। इसके साथ ही किसान नेता दर्शन पाल, राजिंदर सिंह, बलबीर सिंह राजेवल, बूटा सिंह बुर्जगिल, जोगिंदर सिंह उगराहा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। ये सभी किसान नेता कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस

राजद्रोह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?- 1962 में केदारनाथ बनाम बिहार राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि सरकार की आलोचना या फिर प्रशासन पर टिप्पणी करने भर से राजद्रोह का मुकदमा नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संवैज्ञानिक बेंच ने अपने आदेश में कहा था कि राजद्रोह के मामले में हिंसा को बढ़ावा देने का तत्व मौजूद होना चाहिए. महज नारेबाजी करना देशद्रोह के दायरे में नहीं आता। बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में कहा था कि महज नारेबाजी करना राजद्रोह नहीं है। दो लोगों ने उस समय खालिस्तान की मांग के पक्ष में नारे लगाए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उसे राजद्रोह मानने से इन्कार कर दिया था।

बाकायदा अभियान चलाया। बाद में किसानों ने आंदोलन किया और पंजाब और राजस्थान से सीमित विधायी उपाय के साथ विधान सभाओं में केंद्र के खिलाफ स्वर मुखरित हुए। किसान संगठनों ने विरोध के लिए दिल्ली कूच किया तो रास्ते में उनकी राह में बाधाओं को डालने का पहला बड़ा काम हरियाणा सरकार ने किया। फिर दिल्ली की राह और दिल्ली घुसने के दौरान जो कुछ घटा वह सब कुछ सार्वजनिक है।

सरकार ने बाद में किसानों के आगे झुककर तय किया कि उनको बुराड़ी में संत निरंकारी ग्राउंड पर भेजा जाये लेकिन उसके लिए किसान तैयार नहीं हुए क्योंकि वह अलग थलग इलाके की अस्थाई जेल जैसी

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

अडानी कर रहा है पिछले साल से अनाज खरीदने की तैयारी

कृषि सुधार के नाम पर तीन बिल संसद ने अब पास किया है, लेकिन कॉरपोरेट इसकी तैयारी बहुत पहले ही शुरू कर चुका था। दावा है कि बिचौलिये के रूप में कमशीन खाने वाले आढ़ती व्यापारी और किसान के बीच से हट जायेंगे। तो फिर किसानों की उपज ख़रीदेगा कौन? सच यह है कि माल बिकेगा और आढ़तिया ही खरीदेगा पर वह अब बड़ा आढ़तिया होगा। अब वह अडानी जैसा बड़ा कॉरपोरेट होगा। अडानी किसानों से माल खरीदने की तैयारी पिछले 5 साल से कर रहा है।

आडानी ने अनाज भण्डारण की जो व्यवस्था तैयार की है उसे आप देखेंगे तो वाकई चौक जायेंगे। अडानी ने सरकार के साथ मिलकर पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर अनाज भंडारण के लिए बड़े बड़े स्टील के टैंक बनाए गए हैं जिसे साइलो स्टोरेज कहते हैं। साइलो स्टोरेज एक विशाल स्टील ढाँचा होता है जिसमें थोक सामग्री भंडारित की जा सकती है। इसमें कई विशाल बेलनाकार टैंक होते हैं। नमी और तापमान से अप्रभावित रहने के कारण इनमें अनाज लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता है। साइलो के नवीनतम रूप में रेलवे साइडिंग के जरिये बड़ी मात्रा में अनाज की लोडिंग अनलोडिंग की जा सकती है। इससे भंडारण और परिवहन के दौरान होने वाले अनाज के नुकसान में काफी कमी आती है। सरकार ने 2017 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड के तहत 100 लाख टन क्षमता के स्टील साइलो के निर्माण का लक्ष्य रखा था, लेकिन 31 मई 2019 तक सरकार पीपीपी के तहत 6.75 लाख टन क्षमता के स्टील साइलों का ही निर्माण कर पाई है, जिसमें मध्यप्रदेश में 4.5 लाख टन और पंजाब-हरियाणा में 2.25 लाख टन स्टील साइलो बन पाए हैं। वो भी अडानी के हैं। दरअसल स्टील साइलो ही अनाज भंडारण का भविष्य है। इस काम में अडानी ने बाजी मार ली है। अडानी एग्री लॉजिस्टिक लिमिटेड ने भारतीय खाद्य निगम के साथ एक विशेष सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अडानी के सहयोग से पंजाब के मोगा और हरियाणा के कैथल में बनाए साइलो बेस में अनाज भंडारण किया जा रहा है।

कैथल जिले में स्थित इन साइलोज में दो लाख टन गेहूं के भंडारण की क्षमता है। वर्तमान में एक लाख 60 हजार टन गेहूं का भंडारण किया हुआ है। माना जा रहा है कि अडानी देश भर में ऐसे सात बेस और फील्ड डिपो स्थापित करने जा रहा हैं। अडानी समूह में कंपनियां इस बात से लगातार इंकार करती रहीं हैं। ऐसे में यह जानना अहम है कि इन समूहों की कंपनियों का कितना सरोकार कृषि कानूनों के कारण किसानों की संभावित समस्याओं से अभी है या भविष्य में होने वाला है। इसे संयोग कहें या अंबानी-अडानी ग्रुप्स की साख कहें, इन ग्रुप के मैनेजमेंट का पावर कहें या इनकी बड़ी पूंजी का जोर कहें, निजीकरण के इस दौर में इनमें से बड़े पैमाने पर काम इन दो ग्रुप्स को मिल जा रहे हैं। इसे लेकर किसान और उनके संगठन आशंकित हैं कि इन दो उद्योग समूहों के कारण ही भविष्य में खेती-किसानी की स्थिति खराब हो सकती है। किसान संगठनों की सोच है कि कॉरपोरेट कृषि और कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग जैसे प्रावधानों से बड़े उद्योगपतियों को लाभ होगा और किसानों से उनके छोटे-छोटे जोत छिन जाएंगे तथा ये सब उद्योगपतियों के हाथ में चले जाएंगे। हालांकि सरकार लगातार यह कह रही है कि ऐसा नहीं होगा, पर किसान सरकार की बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहे। किसानों का यह भी मानना है कि इस कानून के कारण धीरे-धीरे एक वक्त ऐसा

होती। किसान रामलीला मैदान और जंतर मंतर की मांग कर रहे थे। इस सारी प्रक्रिया में आंदोलन का दायरा मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र समेत कई इलाकों तक पसर गया। आज साठ के दशक के किसान नहीं है। उनकी नयी पढ़ी लिखी और शिक्षित है और अपना हित अनहित जानती है। ऐसा नहीं है कि हाल के सालों में केवल पंजाब आंदोलित रहा है। बीते सालों में महाराष्ट्र से लेकर मध्यप्रदेश तक में जो किसानों के आंदोलन चले उसके केंद्र में कर्जमाफी और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी मांगें रहीं हैं। तमिलनाडु के किसानों ने जंतर-मंतर पर अनूठी शक्ति से सरकार को

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

आएगा कि देश के किसान अपनी ही जमीन पर खेतिहर मजदूर बनकर रह जाएंगे। आम किसान या छोटे व्यापारियों के पास तो ऐसे वेयर हाउस हो नहीं सकते, तो सबका राशन खरीदकर अडानी जैसे लोग अब सालों तक स्टोर कर सकेंगे और जब उनके पास असीमित स्टॉक होगा तो पूरा बाजार वे नियंत्रित करेंगे। जैसे मोबाइल की दुनिया में आज पूरा बाजार अंबानी का है, वैसे ही आने वाले सालों में सारी खेती भी बड़े पूंजीपतियों की होगी। यह असल में सिर्फ किसान का मुद्दा नहीं, बल्कि देश की तमाम जनता का भी मुद्दा है। यह जनता बनाम कॉरपोरेट का मामला है। चंद व्यापारी पूरे देश का माल खरीदेंगे और फिर पूरा देश उनसे लेकर खाएगा। यानी पूरा देश उनका ग्राहक होगा कुरुक्षेत्र के कैथल हाईवे पर अडानी का वेयरहाउस है, वहां 10 साल तक गेहूं स्टोर कर सकते हैं, आम किसानों के पास तो ये हो नहीं सकते, तो अडानी जैसे अब बाजार नियंत्रित करेंगे।

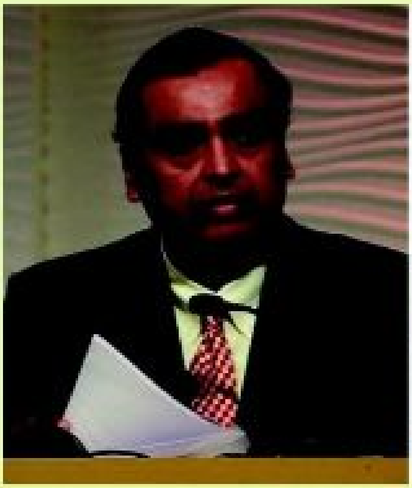

कारपोरेट की मेहरबानी अंबानी-अदानी को पसंद खेती-किसानी

अंबानी और अदानी जैसे सुपर रिच उद्योगपतियों की ओर है। 2017 में मुकेश अंबानी ने कृषि, शिक्षा व हेल्थ केयर में अपनी रुचि दर्शाई थी। उन्होंने तभी घोषित किया था कि ये तीनों क्षेत्र हमारे रोडमैप पर हैं। अदानी ग्रुप कृषि क्षेत्र के बड़े खिलाड़ी कहलाना चाहते हैं और अदानी-विल्मर देश की बड़ी खाद्य कंपनी बनकर दिखाएगी। अदानी लॉजिस्टिक्स ने अनाज के स्टोरेज, हैंडलिंग, ढुलाई नेटवर्क में बहुत मोटी रकम का निवेश किया है। 2017 में अदानी ने फसल बीमा योजना भी शुरू की थी, हालांकि किसानों को उससे कोई लाभ नहीं हुआ। जब इतने बड़े लोग खेती-किसानी और अनाज के बिजनेस में उतरेंगे और ठेके की खेती करवाएंगे तो छोटे किसान का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। सरकार एमएसपी पर कानून बनाना नहीं चाहती और किसानों को इन्हीं कारपोरेट के भरोसे छोड़ रही है। वे शुरू में फसल की अच्छी कीमत देने के बाद किसानों को अपना असली रंग दिखाएंगे। वे किसानों पर अपनी शर्तें लादेंगे और कांट्रैक्ट फार्मिंग कराएंगे। किसान उनका गुलाम बनकर रह जाएगा। किसानों के पास सौदेबाजी की ताकत नहीं रह जाएगी। क्या यह समझा जाए कि सरकार किसानों को कारपोरेट के हवाले कर देना चाहती है और इसी के विरोध में किसान आंदोलन हो रहा है? सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुना करने की बात कही थी। शायद उद्योगपतियों के भरोसे ही यह लॉलीपाप दिया गया होगा। वैसे तो अडानी-अंबानी की तरफ से सफाई आ चुकी है, लेकिन किसानों का डर जायज है। वह अडानी-अंबानी को एग्रिकल्चर से जोड़ रहे हैं, इसकी भी वजह है। अंबानी का रिलायंस फ्रेश सीधे किसानों से खरीद करता है, वहीं अडानी का फॉर्चयून ब्रांड आटा, मैदा, बेसन से लेकर खाने के तेल बेचने तक के बिजनस में है। ऐसे में किसानों को डर है कि धीरे-धीरे खेती भी अडानी-अंबानी जैसे उद्योगपतियों के हाथों में चली जाएगी।

हिला कर रख दिया था। अहमदनगर और नासिक के किसानों ने अनूठा आंदोलन शुरू किया। तमाम जगहों पर हजारों लीटर दूध और सब्जी सड़कों पर फेंक कर विरोध जताया। मध्यप्रदेश में मंदसौर में हुए गोलीकांड के बाद देश के कई हिस्सों में आंदोलन भड़का और उनके समर्थन में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के किसान आए।

मोदी सरकार के लिए किसान आंदोलन अब तक की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। पूरा विपक्ष भी किसानों के पक्ष में कूद पड़ा है। किसान इन मुद्दों पर आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। किसानों की समस्याओं का जल्द कुछ हल नहीं निकाला गया तो यह आंदोलन

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

सरकारों द्वारा किसानों को दी जाने वाली नाममात्र की रियायतें

हाल के सालों में किसानों को एक बड़ी राहत यूपीए शासन के दौरान 2008-09 में मिली 72,000 करोड़ रुपए की कर्जमाफी थी। इस समय कृषि जोतों के हिसाब से 14 करोड़ 65 लाख किसानों में से करीब 11 करोड़ किसानों को सालाना छह हजार रुपए किसान सम्मान निधि मिल रही है। लेकिन खाद बीज और कीटनाशक दवाओं और ट्रैक्टर पर जीएसटी और पेट्रोल और डीजल के दामों के बढ़ने ने किसानों की लागत बढ़ा दी है। बीते छह सालों में अगर गौर करें तो दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में किसानों के 40 हजार करोड़ के कर्ज माफ हुए और तेलंगाना में भी करीब 20 हजार करोड़ की कर्ज माफी हुई और कर्नाटक सरकार ने भी ऐसा किया। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र ने भी इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया। लेकिन बात महज एक बार की कर्जमाफी से संभलने वाली नही है। आज खेती बाड़ी के कई संकट है। केवल कृषि पर आधारित परिवार गांव में संकट में हैं क्योंकि उन पर कई तरह के दबाव हैं। गांवों में प्रति व्यक्ति भूमि स्वामित्व में लगातार कमी आती जा रही है। छोटे-छोटे खेतों की उत्पादकता कम है और घाटे की खेती करना लाखों छोटे किसानों की नियति बन गयी है। किसान सम्मान निधि के बाद भी वे समय पर बीज खाद आदि हासिल करने की स्थिति में नहीं होते। खेती की लागत लगातार बढ़ रही है और पंजाब जैसे राज्य में उपज स्थिर हो गयी है। भारत सरकार ने जो कृषि मूल्य नीति 1985-86 बनायी थी, उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद को संवैधानिक जिम्मेदारी माना गया। लेकिन बात सीमित दायरे में गेहूं और धान से आगे नाममात्र की बढ़ सकी है। एमएसपी से किसानों को कुछ गारंटी मिली लेकिन जो फसलें इसके दायरे में नहीं वे सबसे अधिक अनिश्चितता की शिकार है। देश के उन 86 फीसदी किसानों के सामने सबसे अधिक संकट है जिनकी पहुंच मंडियों तक है ही नहीं, न ही एमएसपी तक। लेकिन इस तस्वीर के बावजूद कम औसत उत्पादकता के बाद भी चीन के बाद भारत सबसे बड़ा फल और सब्जी उत्पादक बन गया है। चीन और अमेरिका के बाद यह सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक देश हो गया है। लेकिन किसान संगठनों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग की सभी दलों ने अनसुनी की कि 1969 को आधार वर्ष मानते हुए फसलों का दाम तय हो।

सरकार के गले की फांस बन सकता है।

भारत में किसान आंदोलन का इतिहास

भारत का अन्नदाता किसान एक बार फिर सड़क पर है। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। मध्यप्रदेश के मंदसौर में 2017 में हुए किसान आंदोलन को लोग अभी भूले नहीं होंगे, जहां पुलिस की गोली से 7 किसानों की मौत हो गई थी। 15 साल बाद मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सत्ता में वापसी के लिए काफी हद तक राज्य के किसानों की भूमिका को ही अहम माना जाता है। इसी तरह कर्ज माफी और फसलों के डेढ़ गुना यादा समर्थन मूल्य की मांग को लेकर तमिलनाडु के किसानों ने 2017 एवं 2018 में राजधानी दिल्ली में अर्धनग्न होकर एवं हाथों में मानव खोपड़ियां और हड्डियां लेकर प्रदर्शन किया था। ताजा आंदोलन की बात करें तो आंदोलन की चिंगारी से अब पूरा देश धधक रहा है। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, बिहार समेत देश के अन्य हिस्सों में भी किसान सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली को तो मानो चारों ओर से आंदोलनकारी किसानों ने घेर लिया है।

किसानों ने अंग्रेजों की चूलें भी हिलाई थीं- अंग्रेजों के राज में भी समय-समय पर किसानों आंदोलन हुए और उन्होंने न सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि अंग्रेज सत्ता की चूलें भी हिलाकर रख दी थीं। हालांकि स्वतंत्रता से पहले किसान आंदोलनों पर गांधी जी का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता था, यही कारण था ये पूरी तरह अहिंसक होते थे। सन

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

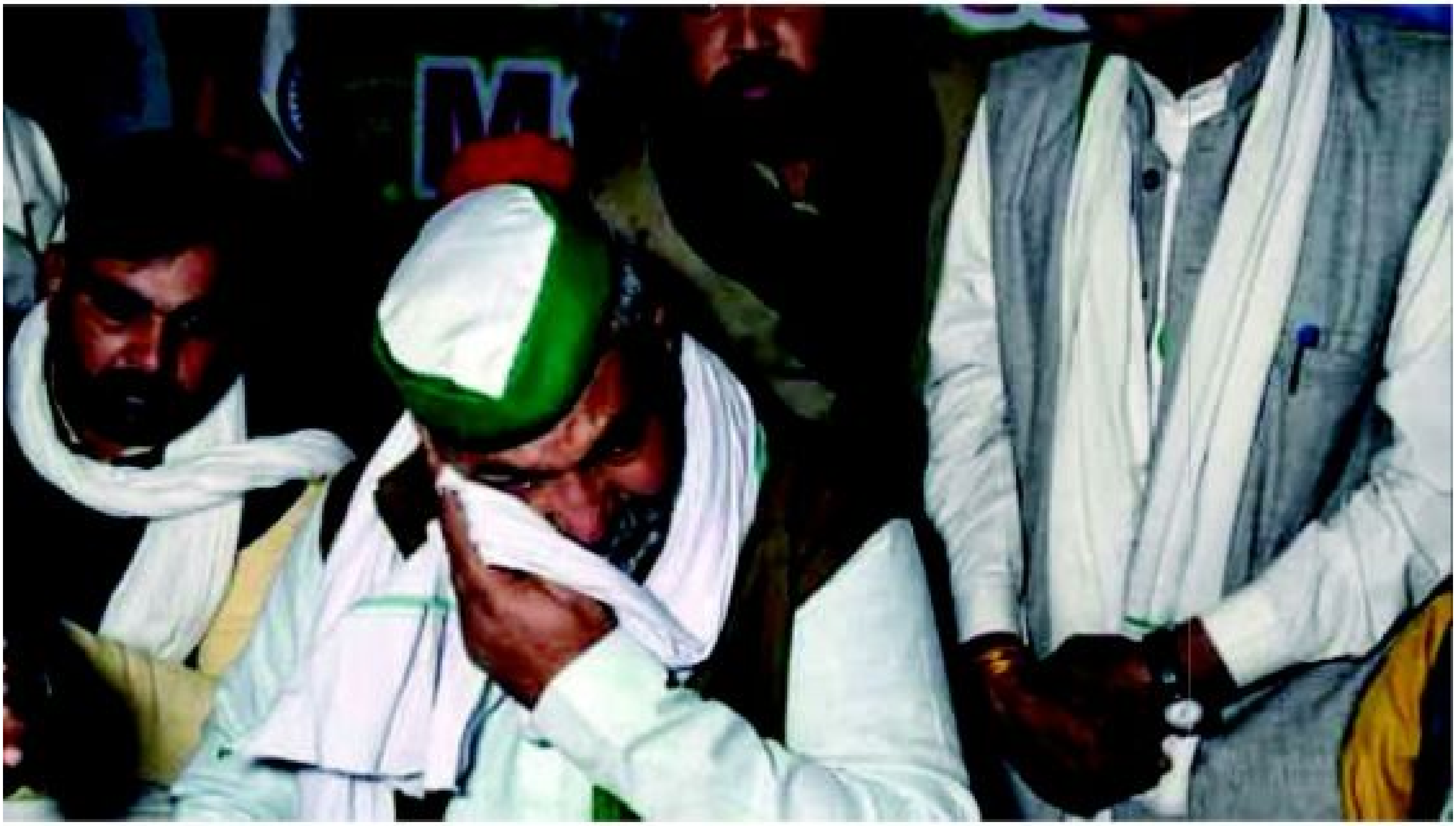

दिल्ली की ट्रैक्टर रैली के बाद किसान नेता राकेश टिकैत और सुर्खियों में आ गए हैं। कानून को लेकर हुए किसान संगठनों के दो फाड़ के बाद आंदोलन का पूरा दारोमदार राकेश टिकैत ने ही संभाला है। कह सकते हैं कि आंदोलन अब टिकैत के ही भरोसे है। यही कारण है कि राकेश टिकैत अब खुलकर कहने लगे है कि यदि कानून वापिस नही होंगे तो वह आत्महत्या कर लेंगे। मीडिया से बात करते हुए उनके आंसू तक निकल आए। इससे लगता है कि वह आंदोलन को लेकर कितने गंभीर हैं।

1857 के असफल विद्रोह के बाद विरोध का मोर्चा किसानों ने ही संभाला, क्योंकि अंग्रेजों और देशी रियासतों के सबसे बड़े आंदोलन उनके शोषण से ही उपजे थे। हकीकत में देखें तो जितने भी किसान आंदोलन हुए, उनमें अधिकांश आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ थे।

दक्कन का विद्रोह- इस आंदोलन की शुरुआत दिसंबर 1874 में महाराष्ट्र के शिरूर तालुका के करडाह गांव से हुई। दरअसल, एक सूदखोर कालूराम ने किसान बाबा साहब देशमुख के खिलाफ अदालत से घर की नीलामी की डिग्री प्राप्त कर ली। इस पर किसानों ने साहूकारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। खास बात यह है कि यह आंदोलन एक-दो स्थानों तक सीमित नहीं रहा वरन देश के विभिन्न भागों में फैला।

एका आंदोलन- यह आंदोलन उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ। फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश में /किसान सभा/ का गठन किया गया। 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच एवं सीतापुर जिलों में लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर यह आंदोलन चलाया गया।

मोपला विद्रोह- केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला किसानों द्वारा 1920 में विद्रोह किया गया। प्रारम्भ में यह विद्रोह अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ था।

कूका विद्रोह- सन 1872 में पंजाब के कूका लोगों (नामधारी सिखों) द्वारा किया गया यह एक सशस्त्र विद्रोह था। कृषि संबंधी समस्याओं तथा अंग्रेजों द्वारा गायों की हत्या को बढ़ावा देने के विरोध में यह विद्रोह किया

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुरू से ही किसान आंदोलन का समर्थन किया है। समय-समय वह मीडिया के सामने आए और मोदी सरकार द्वारा लाए कृषि कानूनों को वापिस लेने की मांग। वैसे कांग्रेस को किसानों के इस मामले को राजनीतिक परिदृश्य से नही देखना चाहिए। किसानों का एक ऐसा मुद्दा है जो कांग्रेस को खोई जमीन वापिस दिला सकता है। आखिरी समय तक कांग्रेस को किसानों का साथ देना चाहिए।

गया था। कूका विद्रोह के दौरान 66 नामधारी सिख शहीद हो गए थे।

रामोसी किसानों का विद्रोह- महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में रामोसी किसानों ने जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंका था। इसी तरह आंध्रप्रदेश में सीताराम राजू के नेतृत्व में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ, जो 1879 से लेकर 1920-22 तक छिटपुट ढंग से चलता रहा।

आंदोलन को लेकर बैकफुट पर मोदी सरकार

तेभागा आंदोलन- किसान आंदोलनों में 1946 का बंगाल का तेभागा आंदोलन सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था, जिसमें किसानों ने फ्लाइड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर एक तिहाई करने के लिए संघर्ष शुरू किया था। बंगाल का तेभागा आंदोलन फसल का दो-तिहाई हिस्सा उत्पीड़ित बटाईदार किसानों को दिलाने के लिए किया गया था। यह आंदोलन बंगाल के करीब 15 जिलों में फैला, विशेषकर उत्तरी और तटवर्ती सुंदरबन क्षेत्रों में। इस आंदोलन में लगभग 50 लाख

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

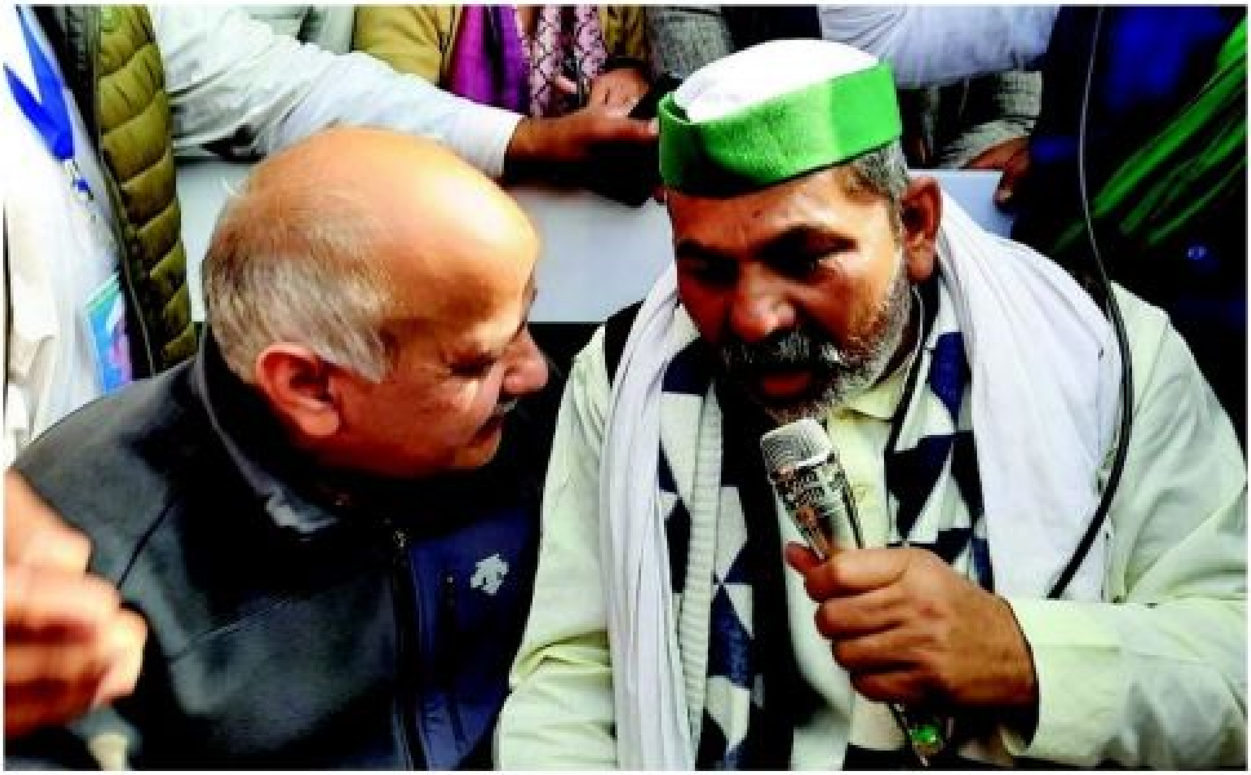

किसान नेता राकेश टिकैट एक रणनीति के तहत अब आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनका मानना है कि वह आखरी सांस तक इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। आंदोलन की पूरी बांगडोर अब टिकैत के हाथ में है। वैसे भी उन्होंने आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई संगठनों ने भी उन पर भरोसा जताया है।

किसानों ने भाग लिया। इसे खेतिहर मजदूरों का भी व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ।

ताना भगत आंदोलन- लगान की ऊंची दर तथा चौकीदारी कर के विरुद्ध ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में बिहार में हुई। इस आंदोलन के प्रवर्तक जतरा भगत थे। मुण्डा आंदोलन की समाप्ति के करीब 13 वर्ष बाद ताना भगत आंदोलन शुरू हुआ था।

तेलंगाना आंदोलन- आंध्रप्रदेश में यह आंदोलन जमींदारों एवं साहूकारों के शोषण के खिलाफ 1946 में शुरू किया गया था।

किसानों को लग रहा है कि कृषि कानूनों से आजीविका होगी मुश्किल

बिजोलिया किसान आंदोलन- यह किसान आंदोलन भारत भर में प्रसिद्ध रहा। बिजोलिया किसान आंदोलन 1847 से प्रारंभ होकर करीब अर्द्ध शताब्दी तक चलता रहा। किसानों ने जिस प्रकार निरंकुश नौकरशाही एवं स्वेच्छाचारी सामंतों का संगठित होकर मुकाबला किया वह इतिहास बन गया।

नील विद्रोह (चंपारण सत्याग्रह)- नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किसानों द्वारा सन 1859 में की गई थी। दूसरी ओर,

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

बिहार के चंपारण में किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों ने एक अनुबंध करा लिया था, जिसके अंतर्गत किसानों को जमीन के 320वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तिनकठिया पद्धति कहते थे।

खेड़ा सत्याग्रह- चंपारण के बाद गांधीजी ने 1918 में खेड़ा किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन शुरू किया। खेड़ा गुजरात में स्थित है। खेड़ा में गांधीजी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की। खेड़ा के कुनबी-पाटीदार किसानों ने सरकार से लगान में राहत की मांग की, लेकिन उन्हें कोई रियायत नहीं मिली। गांधीजी ने 22 मार्च, 1918 को खेड़ा आन्दोलन की बागडोर संभाली। अन्य सहयोगियों में सरदार वल्लभभाई पटेल और इन्दुलाल याज्ञनिक थे।

बारदोली सत्याग्रह- सूरत (गुजरात) के बारदोली तालुका में 1928 में किसानों द्वारा लगान न अदायगी का आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन में केवल कुनबी-पाटीदार जातियों के भू-स्वामी किसानों ने ही नहीं, बल्कि सभी जनजाति के लोगों ने हिस्सा लिया। इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था।

किसान आंदोलन में अब तक कब-कब हुई बातचीत, क्या-क्या हुआ?

केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर 26 नवंबर से किसान आंदोलन शुरू हुआ था। जो आज तक बेनतीजा ही रहा है। आंदोलन की प्रमुख घटनाएं...

सैकड़ों महिलाएं पहुंचीं ग़ाज़ीपुर बॉर्डर

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

किसान आंदोलनः राकेश टिकैत ने फिर भरी हुंकार

1 दिसंबर सरकार के साथ दो बैठकें हुई- केंद्र ने किसानों को बिना शर्त खुले मन से बातचीत करने का प्रस्ताव दिया था। इस पर पहली बार पंजाब के 32 किसान नेताओं ने केंद्र सरकार के मंत्रियों से मुलाकात की। यह मीटिंग लगभग तीन घंटे चली। केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और पूर्व मंत्री सोम प्रकाश भी शामिल रहे। यह बैठक दिल्ली के

खेती किसानी से जुड़े कार्यों को निजी हाथों में देना सरकार की बेईमानी

केंद्र सरकार किसानों की किस तरह से उपेक्षा करती जा रही है इसका जीता जागता उदाहरण है देश का किसान आंदोलन। पिछले 60 दिनों से भी अधिक समय से दिल्ली बॉर्डर की सड़कों पर बैठा, अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रत्यनशील किसान की स्थिति आज ठीक नहीं है। केंद्र सरकार को चाहिए कि किसानों से जुड़े जो कार्य वो किसी अन्य बड़े व्यापारिक कंपनियों के माध्यम से करवाने की योजना बना रही है उसको उन संपन्न कंपनियों को देने के बजाय उन किसानों को दे, जो इन काम को करने में सक्षम है और वर्षों से करते आ रहे है। इससे न सिर्फ किसानों की आय मजबूत होगी बल्कि वो अपने आवश्यकता के अनुसार उस कार्य को बेहतर ढंग से समझते हुए पूरा कर पाएंगे। देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में निजी कंपनियों की शुरूआत बहुत पहले से हो चुकी हैं। अभी तक निजी कंपनियां किसानों से अनाज खरीदी कर उसे स्टोर करती है फिर उसका आयात निर्यात शुरू होता है। लगभग 80प्रतिशत कृषि क्षेत्र निजी कंपनियों द्वारा संचालित होता है। 138 मिलियन किसान परिवारों को देखते हुए उन्हे बेहतर तकनीक और एपीएमसी नियम के तहत उनकी फसलों का सही दाम सुनिश्चित होना चाहिए। कृषि में निजी निवेश के लिए अभी तक देश की कंपनियों कोई विशेष संरक्षण नहीं मिलता था। लेकिन अब सरकार कहीं न कहीं इन कंपनियों को संरक्षण पहुंचाने कि दिशा में योजना बना रही है जिससे कहीं न कहीं नुकसान इन मेहनतकश किसानों को होगा।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

अडानी-अंबानी के हाथों में चली जाएंगी खेती किसानी?

केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को लेकर देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी किसानों के निशाने पर हैं। कई किसान संगठनों का आरोप है कि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ग्रुप्स की कंपनियां खेती-किसानी के बाजारीकरण की कोशिशों में हैं, हालांकि ये कंपनियां इस बात से लगातार इंकार करती रही हैं। ऐसे में यह जानना अहम है कि इन समूहों की कंपनियों का कितना सरोकार कृषि कानूनों के कारण किसानों की संभावित समस्याओं से अभी है या भविष्य में होने वाला है। इसे संयोग कहें या अंबानी-अडानी ग्रुप्स की साख कहें, इन ग्रुप्स के मैनेजमेंट का पावर कहें या इनकी बड़ी पूंजी का जोर कहें, निजीकरण के इस दौर में इनमें से बड़े पैमाने पर काम इन दो ग्रुप्स को मिल जा रहे हैं। इसे लेकर किसान और उनके संगठन आशंकित हैं कि इन दो उद्योग समूहों के कारण ही भविष्य में खेती-किसानी की स्थिति खराब हो सकती है। किसान संगठनों की सोच है कि कॉरपोरेट कृषि और कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग जैसे प्रावधानों से बड़े उद्योगपतियों को लाभ होगा और किसानों से उनके छोटे-छोटे जोत छिन जाएंगे तथा ये सब उद्योगपतियों के हाथ में चले जाएंगे। हालांकि सरकार लगातार यह कह रही है कि ऐसा नहीं होगा, पर किसान सरकार की बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहे। किसानों का यह भी मानना है कि इस कानून के कारण धीरे-धीरे एक वक्त ऐसा आएगा कि देश के किसान अपनी ही जमीन पर खेतिहर मजदूर बनकर रह जाएंगे। आम किसान या छोटे व्यापारियों के पास तो ऐसे वेयर हाउस हो नहीं सकते, तो सबका राशन खरीदकर अडानी जैसे लोग अब सालों तक स्टोर कर सकेंगे और जब उनके पास असीमित स्टॉक होगा तो पूरा बाजार वे नियंत्रित करेंगे। जैसे मोबाइल की दुनिया में आज पूरा बाजार अंबानी का है, वैसे ही आने वाले सालों में सारी खेती भी बड़े पूंजीपतियों की होगी। यह असल में सिर्फ किसान का मुद्दा नहीं, बल्कि देश की तमाम जनता का भी मुद्दा है। यह जनता बनाम कॉरपोरेट का मामला है। चंद व्यापारी पूरे देश का माल खरीदेंगे और फिर पूरा देश उनसे लेकर खाएगा। यानी पूरा देश उनका ग्राहक होगा कुरुक्षेत्र के कैथल हाईवे पर अडानी का वेयरहाउस है, वहां 10 साल तक गेहूं स्टोर कर सकते हैं, आम किसानों के पास तो ये हो नहीं सकते, तो अडानी जैसे अब बाजार नियंत्रित करेंगे।

जियो मार्ट खुलने के बाद कृषि कानून- ऐसा लगता है कि मोदी सरकार जो भी कर रही है सिर्फ और सिर्फ अडानी-अंबानी के लिए कर रही है। फिर कर्ज में डूबे अनिल अंबानी को नई कंपनी खुलवाकर उसे राफेल के रख-रखाव का टेंडर दिलवाना हो या डिजिटल इंडिया के बैनर तले मुकेश अंबानी का जियो इन्फोकॉम लिमिटेड लांच करवाना और खुद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उसका ब्रांड अंबेसडर बनकर करना और जियो को बीएसएनएल का बाजार टेकओवर करने के लिए बीएसएनएल को 4जी सेवा से दूर रखकर जियो को टैक्स में छूट देना। जैसे कई उदाहरण हैं। अब दिसंबर, 2019 में रिलायंस समूह का जियो मार्ट लांच होने के बाद मोदी सरकार ने अक्तूबर 2020 में कृषि कानून बनाकर नये धंधे में उनकी मदद करने का बीड़ा उठाया है।

विज्ञान भवन में हुई। पहले दौर की इस बातचीत में केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित कर मामले का हल निकालने का प्रस्ताव रखा जिसे किसानों ने सिरे से नकार दिया। इसी दिन दूसरे दौर की वार्ता शाम सात बजे हुई जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और अन्य राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल थे।

3 दिसंबर किसानों ने नहीं खाया सरकार का दिया खाना- तीसरे दौर की वार्ता में 40 किसान नेता शामिल थे। विज्ञान भवन में हुई इस बैठक में किसानों ने सरकार का दिया हुआ खाना नहीं खाया। किसानों ने अपने लिए सिंघु बॉर्डर से ही भोजन, चाय का प्रबंध किया था। यह बैठक भी बेनतीजा रही। कुछ किसान नेताओं ने कृषि मंत्री से मिलकर

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

किसान, कलम और कैमरे पर बंदूक का पहरा - राकेश टिकैत

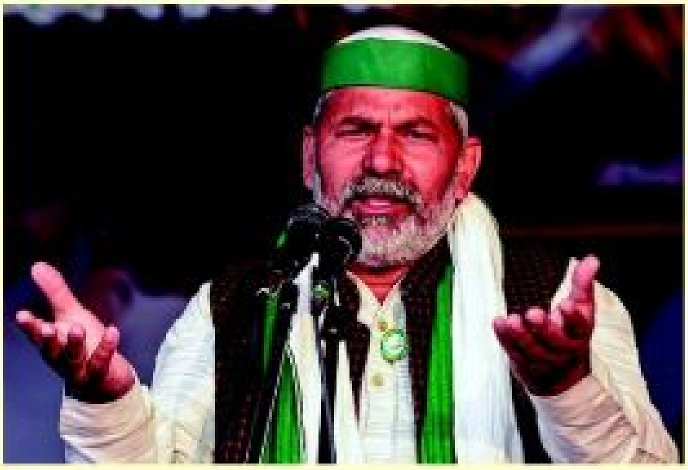

अब राकेश टिकैत किसान आंदोलन के चेहरे बन गए हैं। टिकैत के आंसुओं से अब आंदोलन को नई दिशा दी है। राकेश टिकैत ने कहा है कि वह आंदोलन को राजनीति का मंच नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि लालकिले की घटना किसानों को बदनाम करने की साजिश थी। जिसने झंडे का अपमान किया उसको अभी गिरफ्तार नही किया गया है। टिकैत का कहना है कि शर्तो के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार ने जो आयोग बनाया है उसमें सरकार के नुमाइंदो को दूर रखना चाहिए। दबाव में आकर बात नहीं करेंगे। सरकार से बराबरी के साथ ही बातचीत होगी। किसानों का सम्मान होना चाहिए। अगर कोई घटना घटी है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। कोई लाल किले पर पहुंच जाए और पुलिस की एक गोली भी न चले। यह किसान संगठन को बदनाम करने की साजिश थी। उन्होंने कहा कि मुददे आज भी वहीं हैं कानून वापिस होंगे को किसान का सम्मान बढ़ेगा। यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होगी। किसान आंदोलन जारी रहेगा। उनका कहाना है कि यदि कृषि कानून वापिस नहीं हुए तो आत्महत्या कर लूंगा। उनकी इच्छाशक्ति से लगता है कि यह आंदोलन आगे और विशाल होने वाला है।

बातचीत की। अन्य किसान नेताओं ने अनोपचारिक वार्ता का विरोध जताया और कहा कि सरकार केवल हमसे बातचीत करे।

5 दिसंबर पांचवें दौर की बैठक- पांचवें दौर की इस बैठक में किसानों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पांच घंटे तक चली बैठक में किसानों ने प्लाकार्ड्स दिखाए और कहा कि सरकार बताए कि उसने किसानों की मांगों पर अब तक क्या निर्णय लिया।

8 दिसंबर भारत बंद का आह्वान- किसानों ने भारत बंद आयोजित किया। इसका आंशिक असर रहा। पंजाब-हरियाणा में बंद का ज्यादा प्रभाव देखा गया।

10 दिसंबर किसान आंदोलन में पोस्टर वार- मानवाधिकार दिवस के दिन किसान आंदोलन में दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम और उमर खालिद के पोस्टर

अडानी ग्रुप का गोडाउन है जहां हजारों टन अनाज एकत्रित कर कई महिनों तक रखा जा सकता है।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

किसानों को सता रहा है डर

सबसे अहम बदलाव जो इन कानूनों से होगा वह है मंडी के बाहर व्यापारी को खरीद की छूट मिलना। अभी सारा व्यापार मंडियों के जरिए होता है। वहां एक टैक्स व्यापारी को चुकाना होता है जो आखिरकार किसानों के ही काम आता है। पंजाब, हरियाणा के खेतों से गुजरने वाली बेहतरीन पक्की सड़कें जो आपको दिखती हैं वह इसी टैक्स से बन सकी हैं। अब सरकार मंडियों से बाहर व्यापार की छूट दे रही है तो इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि बड़े व्यापारियों को फायदा होगा, क्योंकि वे लोग बिना टैक्स चुकाए बाहर से खरीद कर सकेंगे। इससे एक तरफ किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिलना बंद हो जाएगा, दूसरी तरफ धीरे-धीरे मंडियां ठप पड़ने लगेंगी, क्योंकि जब मंडियों से सस्ता माल व्यापारी को बाहर मिलेगा तो वह क्यों टैक्स चुकाकर मंडी में माल खरीदेगा।

लहराए गए। उनकी रिहाई की मांग की गई। भारतीय किसान यूनियन (उगराहां) के इस कार्यक्रम से संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने को अलग कर लिया। संगठन ने कहा कि ये आंदोलन का हिस्सा नहीं है। इसके पहले आंदोलन में कुछ खालिस्तानी नेताओं के फोटो भी आंदोलन स्थल पर दिखाई पड़े थे।

15 दिसंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ दौरे के बीच यहां के किसानों से

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

बातचीत की। उन्होंने कहा कि क्या जब दूध लेने का ठेका होता है तो क्या ठेकेदार गाय भी ले जाता है। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान की जमीन सुरक्षित रहेगी।

17 दिसंबर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कृषि कानूनों की प्रतियां फाड़ीं- केजरीवाल ने विधानसभा के पटल पर तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां फाड़ीं। विधानसभा में जय जवान, जय किसान के नारे लगाए गए।

18 दिसंबर मध्यप्रदेश के किसानों से पीएम की बातचीत- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश के किसानों को संबोधित किया।

अब तक नहीं निकल सका कोई समाधान- छठे दौर की वार्ता के लिए नौ दिसंबर का समय निश्चित किया गया था। लेकिन इसके पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

आखिर कब निकलेगा किसान आंदोलन का समाधान

और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कुछ किसान नेताओं ने मुलाकात की। इसके बाद छठे दौर की वार्ता को स्थगित कर दिया गया। अमित शाह ने भी किसानों से कई दौर में बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास किया, लेकिन इसका अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। आंदोलन की शुरूआत के पहले केंद्र सरकार ने किसानों से बातचीत का प्रस्ताव दिया था। किसानों को दिल्ली बुलाकर 14 अक्टूबर और 13 नवंबर 2020 को बातचीत की गई थी। किसानों ने शिकायत की थी कि पहली बैठक में केवल अधिकारियों ने उनसे बातचीत की। मंत्री शामिल नहीं हुए। बाद में मंत्री भी शामिल हुए, लेकिन किसानों ने कानून वापसी के अलावा कोई अन्य बात करने से मना कर दिया। इससे पहले 29 नवंबर के दिन मन की बात कार्यक्रम में और 30 नवंबर को वाराणसी में एक कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को कहा कि ये कानून किसानों के हित के लिए बनाए गए हैं।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

कोरोना से जंग जीतने मध्यप्रदेश अग्रसर

कोविड-19 टीकाकरण का आगाज

समता पाठक

बेशक, कोरोना वायरस ने दुनिया के हरेक इंसान की आंखों से आंसू निकलवा दिए। सारी दुनिया इस जानलेवा वायरस से बचने के लिए घरों के अंदर छिप गई थी। पृथ्वी पर मौजूद हरेक धर्म, जाति, रंग, लिंग से संबंधित मनुष्य की ये ही ईश्वर से प्रार्थना थी कि कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन ईजाद हो जाए ताकि दुनिया फिर से अपनी गति से चलने लगे। कोरोना वायरस को लेकर कहीं भी टीका ईजाद होता तो मानव जाति के लिए राहत की बात होती। पर हरेक भारतीय इस बात पर गर्व कर सकता है कि भारत में भी कोरोना वायरस का एक प्रभावी टीका ईजाद कर लिया गया। ये भारत के वैज्ञानिकों की वास्तव में बड़ी खास उपलब्धि है। जैसे ही कोरोना के कारण मौतें बढ़ने

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

टीकाकरण एक नजर में

कोविड-19 टीकाकरण 16 जनवरी 2021 से प्रारंभ हुआ। प्रथम चरण में 2 लाख 25 हज़ार स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का टीकाकरण करने का लक्ष्य है। प्रथम चरण में पहले 15 दिन के लिए 150 साइट चयनित की गई हैं। दूसरे सप्ताह 23 से 30 जनवरी तक 50 हजार 715 केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाता और निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का चिन्हित 172 सेशन साइट पर टीकाकरण हो रहा है। तीसरे सप्ताह 31 जनवरी से 6 फरवरी तक शेष रहे 55 हजार शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कुल 200 चिन्हित सेशन साइट पर टीकाकरण होगा। चौथे सप्ताह में 7 से 13 फरवरी तक छूट गए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कवर करने के लिए मॉकअप गतिविधि संचालित होगी। इसमें कुल 200 साइट पर 55,000 स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का टीकाकरण करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। राज्य को कोविशिल्ड वैक्सीन के डोज प्राप्त हुए हैं। भोपाल में 94 हजार, इंदौर में एक लाख 52 हजार, जबलपुर में एक लाख 51 हजार और ग्वालियर में एक लाख 9 हजार डोज प्राप्त हो चुके हैं।

लगीं, भारत में इसका टीका ईजाद करने की मुहिम चालू हो गई थी।

कोरोना वायरस से बचाव की शुरुआत हो गई है। सारे देश के साथ-साथ मध्यप्रदेश में भी कोविड-19 के टीकाकरण का आगाज हो चुका है। कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का कार्य 16 जनवरी 2021 से पूरा प्रारंभ हुआ और यह तारीख इतिहास में दर्ज हो गई। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान का हिस्सा मध्यप्रदेश भी बना। सरकार ने व्यापक तैयारियां कर इस महाअभियान को विभिन्न चरणों में पूर्ण करने की व्यवस्था की है। महानगरों से लेकर छोटे-छोटे नगरों में फिर टीकाकरण कार्यम सुचारू रूप से चल रहा

1149 टीकाकरण स्थल

जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नागरिक अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा चयनित निजी संस्थानों में टीकाकरण का कार्य किया जाएगा। कुल 1149 टीकाकरण स्थल चयनित किए गए हैं। टीकाकरण के लिए इतने ही दल बनाए गए हैं। प्रत्येक दल में 4 वैक्सीनेशन ऑफिसर रहेंगे जिनमें 2 एएनएम एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा एक आशा कार्यकर्ता होगी।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया टीकाकरण अभियान का शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी के हमीदिया अस्पताल के कोविड ब्लाक एक में कोविड वैक्सीन टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान की उपस्थिति में हमीदिया अस्पताल में कार्यरत वार्डबॉय संजय यादव को प्रथम वैक्सीन लगाया गया। प्रथम चरण में प्रदेश में आज 2 लाख 25 हजार टीके लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने प्रथम वैक्सीन लगवाने वाले वार्डबॉय संजय यादव को बधाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान ने मध्यप्रदेश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैन ऑफ आइडियाज हैं, उन्होंने समय रहते संकट को पहचान लिया था। कोरोना के नियंत्रण के लिए देश में उनके द्वारा किए गए प्रयास ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कठिन और चुनौतीपूर्ण समय में प्रधानमंत्री ने इससे लड़ने के लिए देश को एक अभिनव अस्त्र दिया- आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर-भारत की अवधारणा दरअसल कोविड से उपजे बहुआयामी संकटों को समाधान में बदलने की एक क्रांतिकारी संकटों को समाधान में बदलने की एक क्रांतिकारी पहल है। कोरोनावायरस के लिए स्वदेशी वैक्सीन के निर्माण और आज से अभियान के रूप में देशव्यापी घर पर वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू हुआ है, इसके लिए निश्चित ही हमारे वैज्ञानिक विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। जिन्होंने दिन-रात एक कर वैक्सीन के निर्माण का कार्य किया। मुख्यमंत्री ने उन बलिदानों का स्मरण किया जिन्होंने कोरोना से प्रभावित लोगों का इलाज किया। उन्हों ने कहा कि जब संमित व्यक्ति के नाम से ही सब घबराते थे। अनेक चिकित्सक उपचार सेवाएं देते देते अपना जीवन त्याग कर दुनिया से चले गए। उन सभी को नमन करते हुए वैक्सीनेशन प्रारंभ किया जा रहा है। कोरोना काल में विगत् 10 माह में प्रदेश के स्वास्य विभाग के अमले, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, राजस्व प्रशासन एवं अन्य सभी शासकीय कर्मियों ने अपने प्राणों की भी परवाह न करते हुए सच्चे कर्मयोगी की भांति अपने सेवाएँ दी हैं। जनता को संक्रमण से सुरक्षित रखने एवं उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने की दिशा में संपूर्ण प्रशासन तंत्र ने जिस परिश्रम और लगन के साथ कार्य किया है, उसके लिए वे निश्चित ही बधाई के पात्र हैं।

है। लोगों को भी उम्मीद जगी है कि जिस महामारी में लोगों की सेहत के साथ-साथ आजीविका पर संकट पैदा कर दिया था अब आने वाले दिनों में वह संकट दूर हो जाएगा। निश्चित तौर पर यह हमारे लिए गर्व की बात है कि सेहत के इस टीके से हम सुरक्षित हो

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है और होगा भी है कि कोरोना वायरस के कारण किन-किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था। समाज का हर वर्ग, हर तबका कोरोना वायरस से प्रभावित हुआ। लॉकडाउन के दौरान ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई कि लोगों के अंदर डर का माहौल व्याप्त हो गया था, लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियों के बीच हमारे साथ-साथ देश के नीति धारकों ने उम्मीद का साथ नहीं छोड़ा। कोरोना काल के प्रारंभ से ही सरकार ने इसके बचाव और सुरक्षा पर युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया था। इसी का परिणाम निकला कि आज हमारे पास इस महामारी का टीका उपलब्ध हो सका है। कोविड-19 के बचाव का सबसे प्रमुख उपाय वैक्सीन ही है। आज यही वैक्सीन प्रतिदिन लाखों लोगों को कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान

तीन चरण में हो रहा वैक्सीनेशन

मध्यप्रदेश में तीन चरणों में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। प्रथम चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स को यह वैक्सीन दी जा रही है। दूसरे चरण में पुलिस एवं डिफेंस कर्मचारियों राजस्व कर्मचारी नगर निकायों के कर्मचारी को वैक्सीन दिया जाएगा। तीसरे चरण में 50 वर्ष की आयु से ऊपर तथा 50 वर्ष के आयु से कम कोमार्बिड लोगों को वैक्सीन लगाया जायेगा।प्रदेश की 150 स्वास्थ्य संस्थाओं पर भी वैक्सीनेशन प्रारंभ किया गया है।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

कर रही है। सरकारों का प्रयास है कि धीरे-धीरे कर हर एक भारतवासी को यह वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए ताकि इस महामारी को जड़ से खत्म कर दिया जाए।

मध्यप्रदेश कोविड-19 टीकाकरण अभियान को सफलता से लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है और कोविड-19 टीकाकरण के सभी प्रमुख तत्वों पर काम कर रहा है। मध्यप्रदेश 3 लाख 31 हजार शासकीय और लगभग 85 हजार निजी क्षेत्र के कुल 4 लाख 16 हजार स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं का टीकाकरण करने जा रहा है। यह स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता 3608 राय और केंद्रीय मंत्रालयों के स्वास्थ्य संस्थानों और संबद्ध आउटरीच क्षेत्र तथा 7780 निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। भारत सरकार के मार्गदर्शन राज्य सरकार के प्रयास स्वास्थ्य अमले की

मध्यप्रदेश कोविड-19 टीकाकरण अभियान को सफलता से लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है और कोविड-19 टीकाकरण के सभी प्रमुख तत्वों पर काम कर रहा है। मध्यप्रदेश 3 लाख 31 हजार शासकीय और लगभग 85 हजार निजी क्षेत्र के कुल 4 लाख 16 हजार स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं का टीकाकरण करने जा रहा है।

कर्मठता फ्रंटलाइन वर्कर्स के परिश्रम और समाज के सभी वर्गों से प्राप्त सतत सहयोग के बलबूते पर मध्य प्रदेश कोरोनावायरस में जीत की ओर अग्रसर है। वर्तमान में जहां एक ओर प्रदेश में कोरोना के संमण से रिकवरी दर लगभग 96.5 प्रतिशत और मृत्यु दर 1.5 से भी कम हो गई है वहीं दूसरी ओर विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 करण अभियान के प्रारंभ होने से आशा की नई किरणें का संचार हुआ है। कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण का कार्य मध्यप्रदेश में सुनियोजित रणनीति के साथ प्रारंभ हो चुका है। सबका साथ और सबका विश्वास पाकर मध्य प्रदेश कोविड मुक्ति की दिशा में तेजी से अग्रसर है।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में राय सरकार के युद्ध स्तर पर किए गए कर्मठ प्रयासों और प्रदेश के नागरिकों के अपार सहयोग की बदौलत

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

प्रदेश कोरोना वायरस से मुकाबला कर अब इस महामारी पर विजयश्री की ओर अग्रसर है। कोरोनावायरस में एक ऐसी बीमारी से हम सब का सामना हुआ जिसके विषय में पूर्व से कोई जानकारी नहीं थी। हमें एक अनदेखे और अनजाने शत्रु से जंग लड़ना थी। ऐसे कठिन समय में जबकि पूरा विश्व कोरोनावायरस की चपेट में था। प्रधानमंत्री के त्वरित सहायता एवं दूरदर्शी फैसलों ने पूरे देश को इस बीमारी से लड़ने का एक नया हौसला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान है तो जहान है के आह्वान के साथ सही समय पर लॉकडाउन के ऐलान से जहां लाखों नागरिकों के प्राणों की रक्षा संभव हुई। वहीं जान भी रहे और जहां भी रहे, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं जैसे नारो की बदौलत देश के आम आदमी की आजीविका भी सुरक्षित हुई।

प्रदेश में शिवराज सरकार ने शपथ लेते ही कोरोना संमण पर नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बिना एक भी पल गवाए कार्य करना प्रारंभ किया। मार्च 2020 के उस कठिन समय में कोविड-19 को लेकर प्रदेश में अनेक चुनौतियां मुंह बाए खड़ी थी। चारों ओर भय, अनिश्चितता, निराशा एवं आशंकाओं का वातावरण था। सरकार ने दो मोर्चो पर एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया। पहला कोरोना वायरस और दूसरा अर्थव्यवस्था का प्रबंधन। प्रदेश में आईडेंटिफिकेशन आइसोलेशन टेस्टिंग और ट्रीटमेंट आईआईटीडी की रणनीति पर बल देते हुए किल कोरोना महाअभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत राय व्यापी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग तथा सामुदायिक सर्वेक्षण के आधार पर संमित एवं उनके संपर्क में आए संभावित संमित की पहचान की गई ताकि ऐसे व्यक्तियों को रिमाइंड कर संमण के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। इसी का परिणाम था कि मार्च 2020 में जहां राय की टेस्टिंग क्षमता मात्र 300 और टेस्टिंग लैब की संख्या 3 थी। वहीं यह क्षमता बढ़कर मश: लगभग 54 हजार हो गई। मार्च 2020 में प्रदेश में कोविड हेतु 2 हजार 428 जनरल वार्ड, 230 ऑक्सीजन वार्ड और 537 आईसीयू बेक्स उपलब्ध थे, जो बढ़कर 5 हजार 204 जनरल वार्ड, 9 हजार 565 ऑक्सीजन वार्ड और 3 हजार 837 आईसीयू बेक्स हो गए।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

नागौर-गंगानगर बेसिन में पोटाश के भण्डार

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

राजस्थान के नागौर-गंगानगर बेसिन से अच्छी खबर सामने आई है। अभी तक पूरी तरह आयात पर निर्भर पोटाश के क्षेत्र में राजस्थान में पोटाश के विपुल भण्डार मिलने की संभावना सुकून भरी है। पिछले दिनों राजस्थान की राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति में केन्द्र सरकार के उपम मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान सरकार और राजस्थान स्टेट मिनरल एण्ड माइंस लिमिटेड के बीच हुए त्रिपक्षीय करार से पोटाश की खोज और उसके खनन को प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री गहलोत के अनुसार आरंभिक जानकारी के अनुसार नागौर-गंगानगर बेसिन में 2400 अरब टन पोटाश के भण्डार होने की संभावना है।

पोटाश की खोज में देश में पहली बार सोल्यूशन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। माना जा रहा है कि प्रदेश में करीब एक लाख करोड़ के पोटाश का भण्डार है। भारतीय भूविज्ञान के आरंभिक सर्वे के अनुसार धरातल से 500 से 700 मीटर गहराई पर 30 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पोटाश के भण्डार है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर क्षेत्र में यह भण्डार है और इसे नागौर-गंगानगर बेसिन के नाम से जाना जाता है।

पोटाश का उपयोग खासतौर से खेती में उर्वरक के रूप में, ग्लास, बारूद, रसायन, पेट्रोरसायन, फोटोग्राफी व औषधि आदि में किया जाता है। दुनिया के देशों में रूस, बेलारूस, कनाडा, चीन, इजराइल आदि देशों में पोटाश का खनन हो रहा है। देश में अभी पोटाश का उत्पादन कहीं नहीं हो रहा, वहीं यह माना जा रहा है कि राजस्थान की नागौर गंगानगर बेसिन में पोटाश के विपुल भण्डार है। एक मोटे अनुमान के अनुसार देश का 95 प्रतिशत पोटाश इस क्षेत्र में उपलब्ध है। वहां खनन गतिविधियां आरंभ होने पर देश की पोटाश की जरूरत को देश में ही पूरा किया जा सकेगा। एक मोटे अनुमान के अनुसार देश में सालाना दस हजार करोड़ रु. के पोटाश का आयात हो रहा है। राजस्थान में पोटाश के खनन से विदेशों से आयात पर होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत होगी, वहीं आसपास के क्षेत्र में औद्योगिक निवेश के नए द्वारा खुलेंगे। क्षेत्र में

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

उर्वरक उद्योग के साथ ही ग्लास आदि के उद्योग खुलेंगे। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

अच्छी बात यह है कि राजस्थान में बाड़मेर जिले में रिफायनरी का काम तेजी से चल रहा है और रिफायनरी के पास ही राज्य सरकार द्वारा एंसेलिरी इकाइयों की स्थापना करने में जुटी है। इससे इन इकाइयों को पोटाश की जरूरत भी होगी तो वह यहां से पूरी हो सकेगी। राजस्थान के खनिज मंत्री प्रमोद जैन भाया का मानना है कि प्रदेश में खनिजों की खोज और खनन गतिविधियों में तेजी लाई जा रही है। इससे प्रदेश में वैज्ञानिक तरीके से खोज व खनन में तेजी आई है वहीं राजस्व में बढ़ोतरी और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होने लगे हैं। राजस्थान खनिज संपदा के दोहन में अब शीर्ष स्तर पर आता जा रहा है।

राजस्थान के माइंस के प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा का मानना है कि पोटाश की खोज के लिए देश में पहली बार सोल्यूशन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। अभीतक देश में इस तकनीक का प्रयोग खनन क्षेत्र में नहीं हुआ है। त्रिपक्षीय करार के साथ ही एमईसीएल द्वारा संभाव्यता अध्ययन का काम शुरू कर दिया जाएगा और माना जा रहा है कि करीब 8 से 9 माह में खोज का कार्य पूरा हो जाएगा। इससे यह भी आशा बंधी है कि साल के अंत तक देश में पोटाश के खनन गतिविधियां आरंभ करने की औपचारिकताएं पूरी करनी की स्थिति आ जाएगी और इसके बाद जल्दी ही पोटाश का खनन शुरू हो सकेगा।

आज सबसे अधिक पोटाश की आवश्यकता खेती के क्षेत्र में हो रही है। रासायनिक उर्वरक उत्पादन कंपनियां इफको, कृभको, इंडियन पोटाश लिमिटेड, नागार्जुन फर्टिलाइजर, गुजरात-नर्मदा, चंबल और अन्य उर्वरक उत्पादक कंपनियां विदेशों से आयात पर निर्भर है। सरकार को पोटाश के आयात के लिए इन निर्माता कंपनियों के साथ ही काश्तकारों को सब्सिडी देनी पड़ती है। जब देश में ही पोटाश का उत्पादन होने लगेगा तो बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा तो बचेगी ही काश्तकारों व इस क्षेत्र में कार्यरत उद्योगों को भी जरूरत भी पूरी हो सकेगी।

आशा की जानी चाहिए कि एमईसीएल तय समय सीमा में पोटाश की संभाव्यता अध्ययन पूरा कर अपनी रिपोर्ट सरकार को दे देगी। उसके आधार पर पोटाश के ब्लॉकों की ऑक्शन प्रयिा आरंभ हो सकेगी। केन्द्र व राय के बीच बेहतर समन्वय बनाते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। पोटाश का खनन कार्य शुरू होने से देश और प्रदेश में पोटाश के क्षेत्र में नया दौर आरंभ होगा। राजस्थान सरकार, खान और भूविज्ञान विभाग और इससे जुड़े अधिकारियों की टीम को पूरे उत्साह के साथ इस कार्य को पूरा करना होगा ताकि देश में पोटाश का उत्पादन आरंभ हो सके। इसके लिए आवश्यक तैयारियां यदि समय रहते की जाती है तो संभाव्यता रिपोर्ट आते ही इससे आगे की गतिविधियों को शुरू करने में अनावश्यक विलंब नहीं होगा और पोटाश का उत्पादन आरंभ हो सकेगा।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ममता की नाकाबंदी के जवाब में भाजपा की घेराबंदी

अमित राय

294 विधानसभा सीटों में से आज का अंक भाजपा के पक्ष में 100, तृणमूल कॉंग्रेस के पक्ष में 100 और बचे 94 सीटों के लिए दंगल जारी है। मतलब जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं। हाल ही में हुए दिल्ली व बिहार विधानसभा के चुनावी परिणाम पर भी दोबारा गौर फरमाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद बीजेपी के हौंसले बुलंद हैं। चुनाव में बीजेपी ने ममता के गढ़ में बड़ी सेंध लगाते हुए 18 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बंगाल में इस प्रचंड जीत के बाद एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या 2021 में बंगाल में बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है? सवाल ये भी उठा खड़ा हुआ है कि क्या बंगाल में जिस तरह ममता ने लेफ्ट में गढ़ में सेंध लागते हुए 2011 के विधानसभा चुनाव में 184 सीटों पर जीत हासिल की थी वैसा ही कुछ 2021 में बीजेपी करने जा रही है? इस सवाल के पीछे पूरी तरह सियासी गुणा भाग है। 2011 के विधानसभा चुनाव में जिसमें ममता ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लेफ्ट के किले को ढहा दिया था उससे ठीक दो साल पहले टीएमसी ने 2009 के आम चुनाव में बड़ी जीत हासिल करते हुए अपने सांसदों की संख्या एक से बढ़ाकर 19 कर दी थी और ऐसा ही कुछ इस बार बीजेपी ने किया है जिसने 2014 के मुकाबले अपने सांसदों की संख्या 2 से बढ़ाकर 18 कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रवाद और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति ने बंगाल में बीजेपी को इतनी बेहतर स्थिति में ला दिया।

लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद बीजेपी के हौंसले बुलंद हैं।

ममता की हिंदु विरोधी नीति और मोदी की राष्ट्रवादी विचारधारा के कैंपेने में ममता के वोटरों को भी बीजेपी की तरफ मोड़ दिया। दिन प्रति दिन तृणमूल कांग्रेस प्रमुख व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भावनात्मक प्रहार जारी है। कारण भी है कि तृणमूल कांग्रेस के बेहतरीन नेताओं का भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होना। बेहतरीन उदाहरण शुभेन्दु अधिकारी व राजीव बेनर्जी से लिया जा सकता है। तृणमूल समर्थकों का तृणमूल कॉंग्रेस से पलायन कर भाजपा में आना ममता को हैरान व परेशान तो करता ही होगा। ममता ने अपने पैरों पर उसी दिन ही कुल्हाड़ी मार ली थी, जब उन्होंने अपने सबसे करीबी व राज्य में समीकरण बैठाने में माहिर गुरु मुकुल रॉय को हल्के में

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

लेते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता अपनाने पर मजबूर किया था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पश्चिम बंगाल प्रभारी, कैलाश विजयवर्गीय अपने दायित्वों का निर्वाहन बखूबी करते आ रहे है। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में दिन प्रति दिन अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता दिखाई दे रहा है। कैलाश विजयवर्गीय के साथ मुकुल रॉय का होना एक और एक दो नहीं बल्कि एक और एक ग्यारह ही स्वीकार किया जा सकता है। पिछले दिनों से हम देखते और सुनते आ रहे हैं कि भाजपा नेताओं को लोगों के बीच में जाने से रोका जा रहा था। मुख्यमंत्री व तृणमूल नेत्री पर आरोप लगते रहें कि उन्होंने पुलिस को आगे कर नाकाबंदी दाँव अपनाया। वहीं भाजपा ने घेराबंदी दाँव अपनाया। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा।

वोट शेयर में बराबरी की टक्कर - पश्चिम बंगाल की कुल 42 लोकसभा सीटों में से ममता बनर्जी के पार्टी ने 22 सीटों पर और बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत हासिल की है। अगर दोनों ही पार्टियों के मिले वोट शेयर को देखे तो टीएमसी को जहां 43.3 प्रतिशत वोट मिले तो बीजेपी ने अपने वोट फीसदी में पिछले चुनाव के मुकाबले लगभग 23 फीसदी का इजाफा करते हुए 40.3 प्रतिशत वोटों पर कब्जा किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात्र 17 फीसदी मत मिले थे।

बंगाल में बीजेपी का भविष्य 2014 के आम चुनाव में बंगाल में मात्र 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने इस बार 18 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है। अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों का विधानसभा सीट वार विश्लेषण करें तो विधानसभा की कुल 294 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने लगभग 130 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाई है। वहीं सत्तारूढ़ दल टीएमसी मात्र 158 सीटों पर बढ़त मिली है। ऐसे में जब दो साल बाद 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है तो वहां बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिलना तय माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव परिणाम देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि बीजेपी 2021 में पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना सकती है। 2016 तक बीजेपी भी इतनी बड़ी जीत के बारे में नहीं सोच रही थी लेकिन पिछले एक साल में जिस तरह बीजेपी ने अपना पूरा ध्यान बंगाल में केंद्रित कर दिया उसके बाद उसके जीत के रास्ते खुल गए। बीजेपी ने मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में मिली हार की भरपाई के लिए अपना पूरा ध्यान बंगाल पर लगाने का जो निर्णय लिया वो पूरी तरह सफल साबिक हुआ। बंगाल में बीजेपी का संगठन मजबूत है इस चुनाव में पहली बार बंगाल के लोगों ने आमार शोनार बांग्ला की जगह भारतवर्ष हमारा हैं और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। बीजेपी महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय लोकसभा चुनाव के बाद दावा कर चुके है कि 2021 में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

बाइडन की भारत-नीति

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

अमेरिका के नए राष्ट्रपति जोजफ बाइडन ने शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप के 17 फैसलों को उलट दिया और बंटे हुए अमेरिकी दिलों को जोड़ने का संकल्प किया। उनके मंत्रिमंडल और प्रशासन में भारतीयों को जितना और जैसा स्थान मिला है, आजतक किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रशासन में नहीं मिला है। कमला हैरिस के तौर पर पहली महिला और भारतीय मूल के पहले व्यक्ति को उप-राष्ट्रपति का स्थान मिला है, यह एतिहासिक घटना है। कमला हैरिस अन्य पूर्व उप-राष्ट्रपतियों के मुकाबले अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाएँगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं है।

बाइडन-प्रशासन की नीति चीन, रूस, यूरोप और मेक्सिको आदि लातीनी-अमेरिकी देशों के प्रति कैसी होगी, इसका विस्तृत विवेचन अलग से किया जाएगा लेकिन हमारी पहली जिज्ञासा यह है कि भारत के प्रति उसकी नीति कैसी होगी? इसमें शक नहीं कि बाइडन और कमला के लिए अमेरिकी राष्ट्रहित की रक्षा का महत्व सर्वोपरि रहेगा लेकिन इसी आधार पर भारत के साथ अमेरिका के संबंध पहले से भी बेहतर होंगे, इसकी पूरी संभावना है। जब तक चीन के साथ अमेरिका का शीतयुद्ध चलता रहेगा, भारत और अमेरिका प्रशांत महासागर क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे लेकिन ट्रंप के विपरीत बाइडन ज़रा संयम से काम

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

लेंगे। वे भारत को चीन के विरुद्ध उकसाने की कोशिश शायद ही करें। इसी तरह वे पाकिस्तान के साथ भी नरमी से पेश आएंगे ताकि अफगान-संकट को सुलझाने में वे कामयाब हो सकें। वे ईरान पर से भी ट्रंप के प्रतिबंधों को रद्द करेंगे और ओबामा की तरह बीच का रास्ता निकालेंगे। ईरान से हुए परमाणु समझौते को फिर से जीवित करके बाइडन यूरोपीय देशों की सराहना अर्जित करेंगे और भारत-ईरान संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। चाहबहार परियोजना और मध्य एशिया तक थल-मार्गों की राह खुलेगी। विश्व-स्वास्थ्य संगठन के बारे में ट्रंप-नीति को उलटने से भारत को विशेष लाभ होगा। वीज़ा नीति के बदलाव से अमेरिका में भारतीयों के रोजगार के मौके बढ़ेंगे।

विश्व-स्वास्थ्य संगठन के बारे में ट्रंप-नीति को उलटने से भारत को विशेष लाभ होगा। वीज़ा नीति के बदलाव से अमेरिका में भारतीयों के रोजगार के मौके बढ़ेंगे।

यह ठीक है कि डेमोटिक पार्टी मोदी सरकार के कुछ फैसलों का विरोध करती रही, जैसे धारा 370 हटाने, नागरिकता संशोधन और मानव अधिकारों का उल्लंघन आदि मुद्दों पर लेकिन ट्रंप जब आंख मींचकर इनका समर्थन कर रहे थे तो ट्रंप-विरोधी डेमोटिक पार्टी इनका विरोध क्यों नहीं करती? वह मोदी से ज्यादा, ट्रंप का विरोध कर रही थी। यों भी मोदी ने बाइडन-प्रशासन का पहले दिन से जैसा भाव-भीना स्वागत किया है, उसका भी असर तो पड़ेगा ही।

(लेखक सुप्रसिद्ध पत्रकार और स्तंभकार हैं।)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

बढ़ती आत्महत्याओं पर लगे लगाम

रमेश सर्राफ धमोरा

भारत के साथ-साथ पूरे विश्व में मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे लोगों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इस मामले में अभीतक विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कोई ठोस बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन विश्व के अलग-अलग हिस्सों में आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर तुरंत संज्ञान लेने की जरूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर साल लगभग आठ लाख लोग आत्महत्या करते हैं। जिनमें से 21 फीसदी आत्महत्याएं भारत में होती हैं।

हमारे देश में शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता होगा जब किसी न किसी इलाके से गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी, कर्ज जैसी तमाम आर्थिक तथा अन्य सामाजिक दुश्वारियों से परेशान लोगों के आत्महत्या करने की खबरें न आती हों। देश में हर चार मिनट में एक आत्महत्या की घटना होती है। 2018 में पारित मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के तहत भारत में आत्महत्या के अपराधीकरण का कानून खत्म करते हुए मानसिक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को मुफ्त मदद का प्रावधान किया गया है। इस नए कानून के तहत आत्महत्या का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति को मदद पहुंचाना, इलाज करवाना और पुनर्वास देना सरकार की जिम्मेदारी होगी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट खुलासा करती है कि विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों के लोग अधिक आत्महत्या कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि विकसित देशों में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में आत्महत्या की दर अधिक है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट खुलासा करती है कि विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों के लोग अधिक आत्महत्या कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि विकसित देशों में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में आत्महत्या की दर अधिक है। परन्तु विकासशील देशों में महिलाओं की आत्महत्या की दर अधिक पाई गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े यह भी खुलासा करते हैं कि आत्महत्या के मामले में भारत की स्थिति भी चिंताजनक है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2019 में आत्महत्या करने से रोजाना 381 मौतें हुई व पूरे साल में कुल 1 लाख 39 हजार 123 लोग मरे। 2018 में 1 लाख 34 हजार 516 और 2017 एक लाख 29 हजार 887 लोगों ने

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

आत्महत्या की थी। 2018 की तुलना में 2019 के दौरान देश में आत्महत्या की घटनाओं में 3 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। पिछले वर्ष देश में फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले 53.6 प्रतिशत लोग थे। वहीं जहर खाकर 25 प्रतिशत, पानी में डूबकर 5.2 प्रतिशत मामले थे। आत्महत्या करने वालों में 70.2 प्रतिशत पुरुष और 29 प्रतिशत महिलाएं थीं।

देश में सबसे यादा महाराष्ट्र में 18 हजार 916 लोगों द्वारा आत्महत्या की गयी थी।

भारत में आत्महत्या की दर विश्व आत्महत्या दर के मुकाबले बढ़ी है। भारत में पिछले दो दशकों की आत्महत्या दर में एक लाख लोगों पर 2.5 फीसद की वृद्धि हुई है।

पिछले 20 सालों में हजारों किसानों ने अपना जीवन त्याग दिया।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के तुलनात्मक आंकड़े बताते हैं कि भारत में आत्महत्या की दर विश्व आत्महत्या दर के मुकाबले बढ़ी है। भारत में पिछले दो दशकों की आत्महत्या दर में एक लाख लोगों पर 2.5 फीसद की वृद्धि हुई है। आज भारत में 37.8 फीसद आत्महत्या करने वाले लोग 30 वर्ष से भी कम उम्र के हैं। दूसरी ओर 44 वर्ष तक के लोगों में आत्महत्या की दर 71

इसके बाद तमिलनाडु में 13,493, पश्चिम बंगाल में 12,665, मध्य प्रदेश में 12,457 और कर्नाटक में 11,288 लोगों ने आत्महत्या की थी। देश में दर्ज कुल आत्महत्याओं का 49.5 प्रतिशत हिस्सा इन पांच रायों में था। शेष 50.5 प्रतिशत आत्महत्याओं की रिपोर्ट देश के अन्य सभी प्रदेशों की थी।

देश के कई हिस्सों में गरीब किसानों के द्वारा की जाने वाली खुदकुशी की घटनाएं किसी से छिपी नहीं हैं। महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र तो इसके लिए कुख्यात है। देश के अन्य हिस्सों में कर्ज में डूबे गरीब व निर्धन किसान भी आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। असलियत तो यह है कि देश में किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई आत्महत्या सामाजिक व्यवस्था पर करारा तमाचा है। देश के किसानों में आत्महत्या की प्रवृत्ति रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बीते वर्ष खुदकुशी के कारण देश ने 3 हजार किसानों को खोया था।

फीसद तक बढ़ी है।

भारत में अवसाद की बीमारी भी तेजी से पांव पसार रही है। आंकड़े बताते हैं कि विगत दशकों में बदलते परिवेश, आधुनिक जीवन-शैली, तात्कालिक विफलता और बढ़ती बेरोजगारी के कारण ग्रामीण भारत के युवाओं में अवसाद के कारण आत्महत्या करने की प्रवृति बढ़ी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2019 में कुल 1,39,123 लोगों ने आत्महत्या की

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

थी। जिसमें बेरोजगारों की संख्या 14,019 थी। जो 2018 की तुलना में 8.37 प्रतिशत अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार देश में करीब 23 लाख लोगों को तात्कालिक तौर पर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की जरूरत है। जबकि देश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। देश में 130 करोड़ आबादी के लिए मात्र 5 हजार मानसिक रोग चिकित्सक हैं।

बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य को एक वैश्विक चुनौती करार देते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के हर देश को मेंटल हेल्थ पर गंभीर कदम उठाने की सलाह दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के मुताबिक व्यक्ति को समय रहते भावनात्मक संबल मिल जाना ही आत्महत्या से बचाव का सबसे कारगर उपाय है। दुनिया के अनेक मनोविज्ञानियों ने अभिभावकों के लिए सलाह जारी की है। बच्चों से प्रतिदिन सहज संवाद को सबसे कारगर बताया गया है। बच्चों को यह सिखाया जाना जरूरी है कि खतरा क्या है और संभावित किसी भी परिस्थिति का सामना वह कैसे करें। वे अभिभावकों के साथ रोजमर्रा की छोटी से छोटी बात की जानकारी साझा करें। ताकि समय रहते सावधानी बरती जा सके।

मनोचिकित्सकों के मुताबिक आर्थिक परिवेश, सामाजिक परिवेश के साथ ही कई और भी कारण हैं, जिसके चलते अक्सर लोग निराश होकर आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण पारिवारिक समस्याओं का सामने आ रहा है। इसके बाद दूसरा बड़ा कारण असाध्य बीमारियों का है। जिसके चलते जीवन से निराश होकर लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि आत्महत्या के मामलों के अध्ययन के बाद सरकार और गैर-सामाजिक संगठनों को मिलकर ठोस पहल करनी होगी। इसके लिए जागरुकता अभियान चलाना होगा। ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने की ठोस रणनीति के बिना देश में बढ़ती आत्महत्यों पर रोक लगाना मुश्किल होगा।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

आज सड़कों पर

आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख,
पर अन्धेरा देख तू आकाश के तारे न देख ।

एक दरिया है यहाँ पर दूर तक फैला हुआ,
आज अपने बाज़ुओं को देख पतवारें न देख ।

अब यकीनन ठोस है धरती हक़ीक़त की तरह,
यह हक़ीक़त देख लेकिन ख़ौफ़ के मारे न देख ।

वे सहारे भी नहीं अब जंग लड़नी है तुझे,
कट चुके जो हाथ उन हाथों में तलवारें न देख ।

ये धुन्धलका है नज़र का तू महज़ मायूस है,
रोजनों को देख दीवारों में दीवारें न देख ।

राख़ कितनी राख़ है, चारों तरफ बिख़री हुई,
राख़ में चिनगारियाँ ही देख अंगारे न देख ।

धर्म

तेज़ी से एक दर्द
मन में जागा
मैंने पी लिया,
छोटी सी एक ख़ुशी
अंधेरों में आई
मैंने उसको फैला दिया,
मुझको सन्तोष हुआ
और लगा -
हर छोटे को
बड़ा करना धर्म है ।

दुष्यंत कुमार त्यागी

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

नेपाल में उभरते संकेतों के मायने

नेपाल में राजशाही हटने के बाद प्रथम दौर में नेपाली कांग्रेस के कोइराला के नेतृत्व में सरकार बनी परन्तु कुछ समय के पश्चात् मार्क्सवादी सरकार में आए और सी.पी.एम. की ओर से प्रचंड पहले प्रधानमंत्री बने। परन्तु ऐसा लगता है कि, नेपाली कांग्रेस अपने परिवार के बोझ में दब गई और जन विश्वास खो बैठी। साम्यवादियों को चीन से निरंतर समर्थन मिलता रहा है, तथा आर्थिक और शस्त्र सहयोग भी मिलता रहा, जिसके परिणामस्वरूप वह (मार्क्सवादी पार्टी) सत्ता में आ सकी। परन्तु मार्क्सवादी पार्टी का नेतृत्व भी भ्रष्टाचार के आरोपो में घिरा रहा और इस प्रकार के आरोप बाहर से तो लगे ही साथ ही पार्टी के भीतर से भी लगे। जिसके परिणामस्वरूप प्रचंड को हटना पड़ा। भटराई और अधिकारी नेतृत्व में आए परन्तु आपसी टकराव रूक नहीं सका और यद्यपि अभी कुछ दिनों पहले तक वहाँ मार्क्सवादी पार्टी के ओली के नेतृत्व में सरकार थी, परन्तु वह भी, आपसी मतभेद के कारण असमय पतन का शिकार हो चुकी है, तथा, प्रधानमंत्री ओली ने संसद को भंग कर पुनः चुनाव कराने की सिफारिश की जिसे मंजूर कर राष्ट्रपति ने मार्च-अप्रैल में संसद के चुनाव कराने का निर्णय किया है। यद्यपि, मार्क्सवादी पार्टी के अंदर से ही इस पर मतभेद हुए है। प्रचंड गुट ने अलग साख बना ली है।

रघु ठाकुर

नेपाल में हाल ही में दो घटनाएं घटित हुई हैं जो आश्चर्यजनक और विचारणीय भी हैं। कुछ दिनों पहले एक जुलूस काठमांडू की सड़कों पर निकला जो माँग कर रहा था कि, नेपाल को हिन्दू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए और उसके कुछ अंतराल से एक और जुलूस निकला जो नेपाल में राजशाही की वापसी की माँग कर रहा था।

नेपाल में पिछले लगभग दो दशकों से लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, और नेपाल के स्व. महाराजा बीरेन्द्र के बाद राजशाही को समाप्त कर लोकतंत्र की बहाली के आंदोलन भारत की आजादी के आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। 1940 के आसपास नेपाल के अधिकांश नेता जिन्होंने नेपाली कांग्रेस बनायी थी उनमें से स्व. कोइराला इत्यादि अन्य नेतागण जिनकी शिक्षा दीक्षा बनारस में हुई थी, कांग्रेस में शामिल थे। नेपाल में राजाशाही के विरूद्ध आँदोलन को गति देने में भी भारत का बहुत योगदान है और विशेषतः स्व. डा.राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण लोहिया के परम सहयोगी बालकृष्ण गुप्ता आदि ने

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

नेपाल में लोकतंत्र बहाली के आँदोलन को बहुत गति दी थी। भारत के समाजवादी आँदोलन और नेपाल के राजशाही के खिलाफ चलने वाले आँदोलन जिसकी अगुवाई 19वीं सदी के अंत तक लगभग नेपाली कांग्रेस ने की थी के बीच आंतरिक आत्मीय और परस्पर सहयोग के संबंध रहे थे। स्व. चन्द्रशेखर के भी नेपाली कांग्रेस नेताओं के साथ अत्यधिक सहयोगी संबंध रहे और विशेषतः 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार भारत में बनी थी और स्व. चन्द्रशेखर पार्टी के अध्यक्ष बने थे तब भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान इत्यादि देशों के राजनैतिक नेतृत्व के साथ उनके प्रगाढ़ रिश्ते थे,वे भी नेपाल में लोकतंत्र बहाली के वैचारिक सहयोगी थे। चूंकि 1950-60 के दशक में पाकिस्तान, बांगलादेश, बर्मा, अफगानिस्तान, नेपाल आदि के अधिकांश नेताओं के बेटे, बेटियों या बाद की पीढ़ी के नेता पढ़ने के लिए दिल्ली मुख्यतः आते थे, अतः स्व.डी.पी. त्रिपाठी से उनके संबंध थे। स्व. डी.पी. त्रिपाठी विद्यार्थी जीवन काल में मार्क्सवादी थे और जे.एन.यू. के अध्यक्ष रहते हुए उनकी अपनी एक पहचान बनी थी। विश्वास खो बैठी। साम्यवादियों को चीन से निरंतर समर्थन मिलता रहा है, तथा आर्थिक और शस्त्र सहयोग भी मिलता रहा, जिसके परिणामस्वरूप वह (मार्क्सवादी पार्टी) सत्ता में आ सकी। परन्तु मार्क्सवादी पार्टी का नेतृत्व भी भ्रष्टाचार के आरोपो में घिरा रहा और इस प्रकार के आरोप बाहर से तो लगे ही साथ ही पार्टी के भीतर से भी लगे। जिसके परिणामस्वरूप प्रचंड को हटना पड़ा। भटराई और अधिकारी नेतृत्व में आए परन्तु आपसी टकराव रूक नहीं सका और यद्यपि अभी कुछ दिनों पहले तक वहाँ

उन्होंने नेपाली कांग्रेस के माध्यम से राजशाही के विरूद्ध आँदोलन को निरंतर सहयोग दिया था। शरद यादव जब 1977 में सांसद चुनकर पहुंचे थे तब भी नेपाल के अनेक क्रांतिकारी साथी यद्यपि उनमें अधिकांश मार्क्सवादी थे दिल्ली में लोगों के सम्पर्क में आए थे और दुर्गा शिवेदी सहित कई लोग उनके घर पर भी रूके थे। स्व. डी.पी. त्रिपाठी जो जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे थे तथा एशियाई देशों में विशेषतः नेपाल, यद्यपि बाद में वे कांग्रेस में स्व. राजीव गाँधी के कहने पर शामिल हुए और फिर निराश होकर वापस आए तथा आखिरी दिनों में एन.सी.पी. में रहे।

नेपाल में राजशाही हटने के बाद प्रथम दौर में नेपाली कांग्रेस के कोइराला के नेतृत्व में सरकार बनी परन्तु कुछ समय के पश्चात् मार्क्सवादी सरकार में आए और सी.पी.एम. की ओर से प्रचंड पहले प्रधानमंत्री बने। परन्तु ऐसा लगता है कि, नेपाली कांग्रेस अपने परिवार के बोझ में दब गई और जन मार्क्सवादी पार्टी के ओली के नेतृत्व में सरकार थी, परन्तु वह भी, आपसी मतभेद के कारण असमय पतन का शिकार हो चुकी है, तथा, प्रधानमंत्री ओली ने संसद को भंग कर पुनः चुनाव कराने की सिफारिश की जिसे मंजूर कर राष्ट्रपति ने मार्च-अप्रैल में संसद के चुनाव कराने का निर्णय किया है। यद्यपि, मार्क्सवादी पार्टी के अंदर से ही इस पर मतभेद हुए है। तथा प्रचंड गुट ने अलग साख बना ली है।

2014 में भारत में भाजपा सरकार बनने

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

के बाद दिल्ली में नेपाल को पुनः हिन्दू राष्ट्र के रास्ते पर वापस ले जाने की कुटिल चालें शुरू की गई है। चूंकि राजा वीरेन्द्र के जमाने तक नेपाल हिन्दू राष्ट्र था। उनकी मौत के बाद साम्यवादी सरकार ने नेपाल का हिन्दू राष्ट्र का तमगा समाप्त कर दिया था और उसे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का दर्जा दिया था। आरंभिक दौर में तो भारत सरकार ने अपनी कूटनीतिक चालों के माध्यम और आर्थिक दबाव के आधार पर नेपाल की सरकार पर सही या गलत निर्मित से उसे प्राप्त हुआ तो उसे भुनाने से पीछे नहीं रही। हो सकता है कि चीनी आर्थिक और सामाजिक सहयोग इसका कारण रहा हो।

परन्तु पिछले कुछ दिनों से स्थितियां बहुत बदली है। अब नेपाली जनता और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा हिस्सा जो पहले ही कई गुटों में सत्ता के खेल में बंट चुका है, चीनी हस्तक्षेप से बचना चाह रहा है। भारत ने इस अवसर का लाभ उठाया है की स्थापना हुई थी और बार-बार देश में लोकतांत्रिक सरकारों की असफलताओं से निरंतर हो रहे मोह भंग ने हिन्दू राष्ट्र और राजशाही के लगभग मृत विचार में हल्की सी जान फूंकी है और इस थोड़ी सी प्राणवायु से नेपाल में यह परिवर्तन आया है कि राजधानी की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में लोग लगभग प्रतिदिन राजशाही और हिन्दू राष्ट्र के पक्ष में रैली निकालने में सफल हुए है। नेपाल की जनता की ओर से कोई विरोध

दबाव बनाया कि नेपाल में हिन्दू राष्ट्र बहाल हो परन्तु नेपाल की जनता में इसकी विपरीत प्रतिक्रिया हुई और नेपाल ने इसे अपने देश के आंतरिक मामलों में भारत का हस्तक्षेप मानकर न केवल तीव्र विरोध किया बल्कि नेपाल में भारत विरोधी जन भावना भी बनी। वैसे भी नेपाल में वहाँ की मार्क्सवादी पार्टी भारत के विरोध की भावना को हवा देती रही है और कोई भी ऐसा अवसर अगर किसी और नेपाल को भारत का आर्थिक सहयोगी तथा देश के विकास में सहयोग का हाथ भी बढ़ाया है। जाहिर है कि भारत का प्रभाव नेपाल की सत्ता पर बढ़ा है, और उसके कई परिणाम दिखेंगे।

परन्तु यह भी बहुत स्पष्ट है कि नेपाल की जनता में भी वहाँ की शासक पार्टी और साम्यवादी पार्टी के खिलाफ तेजी से जनमत बदला है, 2008 में नेपाल में गणतांत्रिक राय नहीं हुआ। इसे कोई मामूली घटना नहीं मानना चाहिए क्योंकि यह नेपाली मानस के बदलाव की शुरुआत हो सकती है।

पिछले दिनों में द इकानामिस्ट जो लंदन से निकलने वाला एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र पत्रिका है और जो यूरोपीय मानस का प्रवक्ता जैसा माना जाता है के एक संपादकीय लेख का जिक्र अपने लेख में कर पहली बार भारत और दुनिया को सावधान करने का

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

प्रयास किया था। द इकानामिस्ट ने यह निष्कर्ष निकाला था कि, लोकतांत्रिक चुनी सरकारों के बजाय तानाशाही की सरकारें वे चाहे किसी भी प्रकार की तानाशाही वाली हो यानी चाहे वह सैन्य तानाशाही वाली, धार्मिक तानाशाही वाली, या व्यक्ति तानाशाही वाली हो ज्यादा बेहतर काम कर रही है। उनके निष्कर्ष निकालने का एक आधार यह रहा है कि लोकतांत्रिक सरकारों के ऊपर जन संतुष्टिकरण का और जनमत को प्रभावित करने के लिए उन्हें लोकप्रिय नारों और वायदों की बाध्यता होती है, जिससे विकास अवरूद्ध होता है। द इकानामिस्ट चीन और रूस को भी लोकतांत्रिक सरकारों से बेहतर माना है। क्योंकि वे सत्ता और ताकत के बल पर मजदूर आंदोलन से लेकर जन आंदोलन आसानी से कुचल सकते हैं और अपने निर्णयों को क्रियान्वित करा सकते है।

दरअसल वैश्विक पूंजीवाद अब लोकतांत्रिक सरकारों और लोकतांत्रिक प्रणाली से मुक्त होना चाहता है, क्योंकि लोकतंत्र उसकी लूट में बाधा है। लोकतंत्र का एक अपरिहार्य सपना आजादी, मत और उसके साथ-साथ समता की आकांक्षा होती है। और समता या आकांक्षा का वह विस्फोटक सपना है जो कभी न कभी वैश्विक पूँजीवाद और कार्पोरेट सत्ता को नष्ट कर सकता है। इसलिए द इकोनामिस्ट के माध्यम से पूँजीवाद ने यह नया दर्शन शुरू किया है। नेपाल में उठ रहे राजतंत्र और हिन्दू राष्ट्र के स्वर भी राजतंत्री तानाशाही को वापस लाने की शुरूआत है। मार्क्सवादी ने वैसे भी सिद्धांत के रूप में सर्वहारा की तानाशाही का कोरी पड़ाव स्वीकार किया है और उसी का परिणाम है कि आज रूस और चीन में या साम्यवादी देशों में एक दलीय और व्यक्ति तानाशाही के रूप में सरकारें स्थापित हो रही है जो अब साम्यवाद के नाम पर कार्पोरेट और पूँजीवादी तानाशाही बन चुके है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तो, संसद से यह प्रस्ताव पारित कराया है कि 2036 तक वे पद पर बने रह सकते है, तथा उसके बाद उन पर या उनके परिजनों पर कोई मुकदमा भी नही चल सकेगा, चीनी राष्ट्रपति को भी बदला जाना आसान नहीं है। याने देर सवेर दुनिया में मार्क्सवादी मित्रों को इस प्रकार की कार्पोरेट तानाशाही से कोई परेशानी नहीं होती बशर्ते वे उनकी पार्टी और विचारधारा के नाम पर हो। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप राजशाही और मजहबी तानाशाही के विचार भी पुनः मजबूत हो सकते है क्योंकि अंततः तानाशाही तो तानाशाही है जो लोकशाही को खत्म कर किसी न किसी आवरण में पूँजीशाही को सुरक्षित और स्थापित करेगी। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत के द्वारा दिया गया वक्तव्य कि हमारे देश में कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र है को इसी अभियान का एक चरण मानना चाहिये जो प्रारंभिक तौर पर भारत में तंत्र की ओर से बहस के लिये व विचार निर्माण के लिये फेंका गया है।

भारत को भी और विशेषतः भारत के समाजवादियों, साम्यवादियों और धर्म निरपेक्षता वादियों को पड़ोसी देश नेपाल के परिवर्तनों के उभरते संकेतों को समझकर अभी से सावधान होना चाहिए। पड़ोसी के घर में आग की चिनगारी अगर बुझाई नहीं गई तो पड़ोसी का घर तो जलेगा परन्तु अपना घर भी सुरक्षित नहीं रह सकेगा।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

मध्यप्रदेश अब घड़ियाल और गिद्धों की संख्या में नम्बर वन की दहलीज पर

ऋषभ जैन

मध्यप्रदेश प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता विशेष कर वन एवं वन्य-प्राणियों की विविधता के लिए जाना जाता है। मृदा और जल के संरक्षक के रूप में वनों की महत्ता अद्वितीय हैं। मध्यप्रदेश टाईगर और लेपर्ड स्टेट बनने के बाद अब घड़ियाल और गिद्धों की संख्या के मामले में नम्बर वन बनने की दहलीज पर आ पहुँचा है।

ऐसे बना टाईगर स्टेट

देश में सबसे अधिक बाघ मध्यप्रदेश में हैं। पिछले साल बाघों की संख्या 526 होने के साथ प्रदेश को एक बार पुन्ना टाईगर स्टेट का दर्जा मिला है। इस बीच 4 बाघ कम भी हुए हैं। बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व में सर्वाधिक 124 और कान्हा टाईगर रिजर्व में 108, पेंच टाईगर रिजर्व में 87, सतपुड़ा टाईगर रिजर्व होशंगाबाद में 47 और पन्ना टाईगर रिजर्व में बाघों की संख्या 31 थी। आज से 14 साल पहले वर्ष 2006 में प्रदेश में सर्वाधिक 300 बाघ होने से टॉप पर था। वर्ष 2010 और 2014 में हुई गणना में कर्नाटक और उत्तराखण्ड से पिछड़ कर मध्यप्रदेश तीसरे पायदान पर आ गया था। इसके चार साल

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

बाद वर्ष 2018 में हुई गणना में बाघों के मामले में मध्यप्रदेश ने लम्बी छलांग के साथ देशभर में पहले स्थान पर आकर टाईगर स्टेट का दर्जा मिलने का गौरव हासिल किया। टाईगर स्टेट का दर्जा दिलाने में अति विशिष्ट योगदान देने वाली पेंच टाईगर रिजर्व की बाघिन कॉलर कली के नाम विश्व में सर्वाधिक संख्या में प्रसव और शावकों के जन्म का अनूठा कीर्तिमान है।

प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं, जहाँ बाघों की संख्या बहुत कम है। इनमें माधव राष्ट्रीय उद्यान, गांधी सागर अभयारण्य, संजय एवं सतपुड़ा टाईगर रिजर्व और नौरादेही अभयारण्य शामिल हैं। टाईगर ट्रांसलोकेशन में ऐसे क्षेत्र जहाँ बाघों की संख्या कम है, वहाँ पर बाघों को उन क्षेत्रों से जहाँ बाघों की संख्या अधिक है, वे अपनी टेरेटरी बनाने के लिए संरक्षित क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं। इससे जहाँ एक ओर बाघ के आ जाने से क्षेत्र की जैव-विविधता बढ़ेगी, वहीं दूसरी तरफ मनुष्य-वन्य प्राणी द्वन्द की घटनाओं पर विराम लगेगा और बाघ प्रबंधन बेहतर हो सकेगा।

तेंदुआ स्टेट का मिला दर्जा

तेंदुए की आबादी के अखिल भारतीय आंकलन की रिपोर्ट पिछले साल के अंत में केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जारी की। देशभर में तेंदुओं की संख्या 12 हजार 852 और प्रदेश में 3 हजार 421 संख्या थी। इस प्रकार देश में उपलब्ध तेंदुओं की संख्या में से 25 प्रतिशत अकेले मध्यप्रदेश में पाए गए हैं। इसी के साथ

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

मध्यप्रदेश ने कर्नाटक और महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर तेंदुआ स्टेट का दर्जा हासिल किया है। देश में तेंदुए की आबादी में औसतन 60 फीसदी बढ़ोत्तरी हुई, जबकि प्रदेश में 80 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है।

घड़ियाल और गिद्धों के मामले में भी नम्बर वन की दहलीज पर

मध्यप्रदेश, टाईगर स्टेट और लेपर्ड स्टेट बनने के बाद घड़ियालों और गिद्धों के मामले में भी नम्बर वन बनने से एक कदम की दूरी पर आ गया है। घड़ियाल और गिद्ध गणना की रिपोर्ट आने के बाद प्रदेश को गिद्ध और घड़ियाल स्टेट के दो खिताब मिलने की प्रबल संभावना है।

वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक 1859 घड़ियाल चम्बल अभयारण्य में हैं। चार दशक पहले घड़ियालों की संख्या खत्म होने के कगार में थी। तब दुनिया भर में केवल 200 घड़ियाल ही बचे थे। इनमें से भारत में 96 और चम्बल नदी में 46 घड़ियाल थे।

प्रदेश में मुरैना जिले के देवरी में घड़ियाल प्रजनन केन्द्र की स्थापना की गई है। यहाँ घड़ियाल के अण्डों को सुरक्षित तरीके से हैचिंग की जाती है। घड़ियाल के अण्डों को हेचरी की रेत में 30 से 36 डिग्री तापमान पर रखा जाता है। इस दौरान अण्डों से कॉलिंग आती है और अण्डों से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। बड़े होने पर इन्हें उचित रहवास जल क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से छोड़ दिया जाता है।

वर्ष 2019 में पक्षी गणना के मुताबिक 8397 गिद्ध प्रदेश में थे, जो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। भोपाल के केरवा इलाके में वर्ष 2013 से गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केन्द्र स्थापित है। इसे बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी और मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है। गिद्धों की संख्या के मामले में मध्यप्रदेश जल्द नम्बर वन के पायदान पर आने वाला है।

चीतल ट्रांसलोकेशन

प्रदेश में अफ्रीकी चीता के पुर्नस्थापना की व्यापक तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। इसमें प्रे-बेस के लिए संरक्षित क्षेत्र गांधी सागर अभयारण्य, मंदसौर में शाकाहारी वन्य-प्राणियों के ट्रान्सलोकेशन के लिए राज्य शासन द्वारा नरसिंहगढ़ अभयारण्य (राजगढ़) से 500 चीतलों का ट्रांसलोकेशन की अनुमति दी जा चुकी है। चीतलों के ट्रांसलोकशन के साथ जहाँ एक क्षेत्र में प्रे-बेस की संख्या में वृद्धि होगी वही फसल हानि एवं मानव-वन्य प्राणी की द्वन्द स्थिति में बड़े स्तर पर कमी आएगी।

नाईट जंगल सफारी

प्रदेश के वन्य-प्राणी संरक्षित क्षेत्रों में सुबह और दोपहर में वाहन द्वारा पर्यटकों के

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

लिए सफारी की जाती है। निशा सफारी में पर्यटक सायंकाल अवधि में बफर क्षेत्र में सूर्यास्त के चार घंटे बाद तक प्राकृतिक वनों एवं वन्य-प्राणियों का अद्‌भुत नजारा देखते हैं।

बैलून सफारी

पर्यटकों की सुविधाओं का विस्तार कर बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व में बैलून सफारी की शुरूआत दिसम्बर-2020 में की गई है। इसकी खास बात यह है कि सम्पूर्ण देश के किसी टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में होने वाली पहली सफारी है। पर्यटक एरियल व्यू से बाघ, तेंदुआ, भालू और अन्य वन्य-प्राणियों को विचरण करते हुए आनंद की अनुभूति ले सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 24 नवम्बर 2020 को बांधवगढ़ में आयोजित कैबिनेट बैठक में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने के निर्णय से महज एक माह की अवधि में ही इस बैलून सवारी का शुभारंभ हुआ।

वाइल्ड लाइफ मैनेजमेन्ट के लिए मिले तीन पुरस्कार

वन्य-प्राणी संरक्षण में किए गए प्रयासों को मान्यता देते हुए पिछले वर्षों में मध्यप्रदेश के वन्य-प्राणी क्षेत्रों और इस क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों-अभियानों आदि को कई राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में किए गए सक्रिय वन्य-प्राणी प्रबंधन और श्रेष्ठ वन्य-प्राणी विस्थापन कार्यों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा कान्हा टाईगर रिजर्व एवं सतपुड़ा टाईगर रिजर्व को पुरस्कृत किया गया है।

केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा टाईगर रिजर्वों के प्रबंधन, मूल्यांकन में पुनः अपना वर्चस्व स्थापित करते हुए प्रदेश के तीन टाईगर रिजर्व पेंच, कान्हा और सतपुड़ा टाईगर रिजर्व क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आए हैं। मध्यप्रदेश टाईगर फाउण्डेशन सोसायटी द्वारा पैंगोलिन संरक्षण के लिए चलाए गए अभियान को मान्यता देते हुए इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड्स ने मान्यता दी है। बाघ एवं अन्य वन्य-प्राणी संरक्षण क्षेत्र में किए गए कार्यों पर डब्ल्यू-डब्ल्यू.एफ. इंडिया द्वारा वर्ष 2019 पाटा-बाघ मित्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा आर.बी.एस. फाउण्डेशन अवार्ड शामिल है। इसके साथ राज्य-स्तरीय टाईगर स्ट्राइक फोर्स में पदस्थ रितेश सिरोठिया को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का क्लार्क बाविन अवार्ड और राष्ट्रीय स्तर के फतहसिंह राठौर राष्ट्रीय मेमोरियल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।

राष्ट्रीय स्तर पर गणना

राष्ट्रीय स्तर पर हरेक चार साल में गणना भारत सरकार के वन्य एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कराई जाती है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीयूट देहरादून द्वारा इसकी मॉनीटरिंग की जाती है। इस आधार पर बाघ और तेंदुओं की संख्या भारत सरकार द्वारा तय की जाती है।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

Another Republic Day dawns in the shadow of protests

The proposal to suspend the farm laws for an 18-month period is a major climbdown for the Government from its earlier tough stand to end the deadlock. ...This is in sharp contrast to the massive protests against the CAA last year, against which the Government did not hesitate to use police force and security agencies responded with violence, arrests, interrogations and conspiracy charges.

ALI Chougule

India declared itself a sovereign, democratic and republic state with the adoption of the Constitution on January 26, 1950. The Constitution gave citizens the power to choose their own Government and paved the way for democracy. A democratic republic is a form of government that functions on principles adopted from a republic and a democracy. All modern republics have been founded on the idea that

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

sovereignty rests with the people. Since citizens do not govern the state themselves but through representatives, republics may be distinguished from direct democracies, though all modern, representative democracies are, by and large, republics. The right to protest peacefully is enshrined in the Constitution under Article 19. Public protests are a hallmark of a free, democratic society in which the voice of the people should be heard by those in power and decisions be reached after proper discussion and consultation. Democracy is measured through several indicators, like electoral process and pluralism, the functioning of the Government, political participation, political culture and civil liberties. India was at the 51st position in the 2019 Democracy Index's global ranking and was included in the 'flawed democracy' category, in spite of its sturdy electoral practices. The Democracy Index provides a snapshot of the current state of democracy worldwide for 165 independent states and two territories. Democracy, it is said, is not just an election, it is our daily life. Flawed democracies are nations where elections are fair and free and basic civil liberties are honoured but may have issues, such as media freedom infringement and the suppression of political opposition and critics. The right to peacefully assemble allows political parties and citizenship bodies or unions to question and object to acts of the Government by peaceful demonstrations, agitations and public meetings to launch sustained protest movements. The right to protest is one of the core principles on which a democracy, as also the republic, survives and thrives. Since 2015, India's record on various democracy indices has declined drastically. There is no measure to judge a country's credentials as a republic, but a state of a republic can be assessed through the indices of democracy that include civil

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

society participation and civil liberties. Both have declined significantly in India since 2015. Being a republic is not just the absence of monarchy; it is much more. In a republic, the power is held by the people and their elected representatives and therefore, a consultative approach to decision-making should take precedence over the ramming down of laws on the strength of a legislative majority. In a Constitutional democracy, the government must uphold the Constitution and still represent the will of its people. Therefore, two questions arise. Did the passage of the three contentious agriculture laws represent the popular will of people? Are the Central laws in keeping with the basic structure of the Constitution, given that agriculture is a state subject? Another question that begs an answer is: didn't the Citizenship Amendment Act CAA) also violate the Constitution, given that it discriminates against a section of people on the basis of their religion? The answers to the above questions are still awaited, given that the Supreme Court is yet to decide on the Constitutional validity of the CAA and Farm laws. It is for this reason that for two years in a row, Republic Day celebrations in the national capital will be held under the shadow of raging protests against laws passed by the Centre. Last year, it was the agitation against the CAA. This time, farmers, mostly from Punjab and Haryana, have been camping at Delhi's borders for months, demanding the repeal of the three farm laws and a legal guarantee for the minimum support price (MSP) for crops that are declared by the Government every year. Seen through the prism of fundamental right and popular will, the farmers' protest is a fitting display of a kind of 'movement culture' against the government's non-consultative approach. It is an unrelenting display of determination and solidarity, aimed at claiming the fundamental right that the Constitution gives to citizens. What we are witness to on the borders of Delhi, the capital of Republic of India, is a protest that is led by a committee of farmers' unions. Sustaining a protest of thousands of farmers in the bitter winter of Delhi over the last two months in the face of a discrediting campaign by the Government has not been easy. But they have held their morale

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

high, determined in their resolve to accept nothing less than their two basic demands. They have celebrated New Year, Lohri and Makar Sankranti together in the midst of their protest; Republic Day on January 26 will be the high point of the protest that has gone through 11 rounds of talks with the government, but to no avail. The deadlock is far from over despite the Supreme Court's order to put on hold the implementation of the three farm laws. Farmers have also rejected the proposal put forth by the government to suspend the farm laws for a mutually agreed period of oneand-a-half years. While the court has asked protesting farmers to 'maintain peace' on Republic Day and join the proceedings of the court-mandated panel to 'peacefully resolve the dispute', farmers have refused to appear before the committee because they believe that all the committee's members are 'biased' and are in favour of the laws. They also do not see the committee as a solution to the deadlock. The success of the farmers' agitation in getting widespread sympathy and moral support from non-farming sections of people across the country has not only pushed the Modi government on the backfoot, but also forced the Government into holding talks. The proposal to suspend the farm laws for an 18-month period is a major climbdown for the government from its earlier tough stand to end the deadlock. This means, to a large extent, the protest has succeeded in making the government listen to

the farmers' demands. This is in sharp contrast to the massive protests against the CAA last year, against which the Government did not hesitate to use police force and security agencies responded with violence, arrests, interrogations and conspiracy charges. The government, to a large extent, succeeded in discrediting the anti-CAA agitation because it did not evoke widespread sympathy and trust from the non-Muslim population, who saw the anti-CAA protest as only a problem of the Muslim minority, though the protests were about protecting democracy and the Constitution. This is because the antiCAA protests were perceived by the government and people as an issue of citizenship for the Muslims, while the farmer agitation, though led by Sikh farmers, has expanded to include a range of activists and social groups, whose core opposition to the farm laws is premised on the pro-market and pro-corporate heft of the legislations. The anti-CAA protests, after the Delhi riots and the pandemic-induced lockdown, were forced to wind up. But the farmers are refusing to budge and the government does not have the option to turn a deaf ear or stick to its hard stand. The writer is an independent senior journalist.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

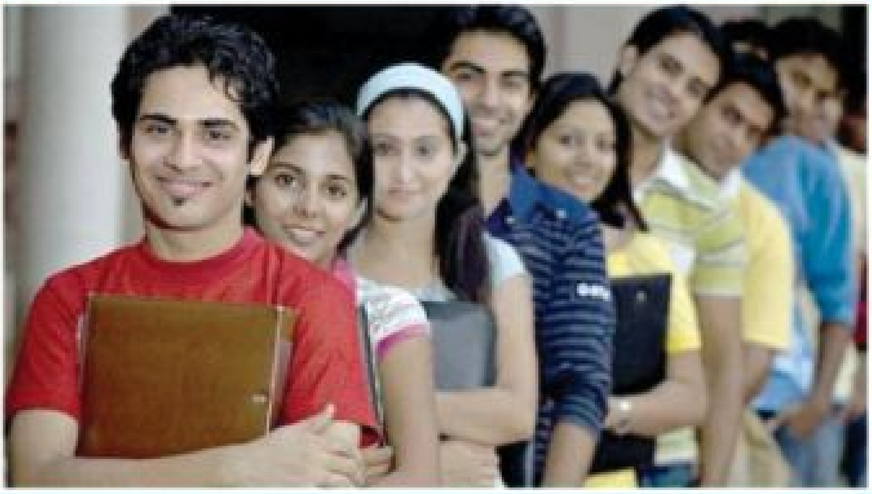

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) 9826064596

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner